

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सुरजीत कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 296

[के साथ 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10905, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 345, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 372, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 374, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 376, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 387, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 413, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 414, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 608, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 609, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 621, 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 663, 2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 84, 2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 399]

06 दिसंबर, 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

विचार के लिए मुद्दा

इस बात पर विचार करने के लिए मुद्दा उठा कि लैब तकनीशियनों के चयन और नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत आवेदन करने के लिए कौन योग्य है: "क्या यह केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास लैब तकनीशियन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा है, वह भी बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया गया है; या वे व्यक्ति जिन्होंने देश में कहीं से भी ऐसी योग्यता प्राप्त की है, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया है, आवेदन कर सकते हैं।"

हेडनोट्स

चयन की प्रक्रिया 21.06.2015 के एक विज्ञापन द्वारा शुरू की गई थी - यह मुकदमा उन लोगों द्वारा शुरू किया गया था जो संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में, अपीलों में पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जो अंतिम निर्णय के अधीन हैं। आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन बिहार लैब तकनीशियन संवर्ग नियम, 2014 के अनुसार था - जो विचार के क्षेत्र को उन लोगों तक सीमित करता है - जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त किया है।

विभिन्न अवधियों के दौरान नियम - 2005 में निर्धारित, 2014 के नियम और वर्ष 2019 में संशोधित नियम।

दिनांक 31.12.2005 की अधिसूचना के अनुसार पैरामेडिकल की परिभाषा इस प्रकार थी:-

“परिभाषा:- इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

पैरा मेडिकल/पैरा डेंटल का अर्थ है:- फिजियोथेरेपी - व्यावसायिक चिकित्सा,

(क) ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, नेत्र सहायक, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, स्वच्छता निरीक्षक, एक्स-रे तकनीशियन, दंत मैकेनिक, दंत स्वच्छता विशेषज्ञ, ड्रेसर, श्रवण भाषा और वाणी चिकित्सा, ई.सी.जी. तकनीशियन और वे अध्ययन पाठ्यक्रम जो राज्य/केंद्र सरकार के किसी नियम, विनियम/अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही रिट याचिकाकर्ताओं को संविदा नियुक्ति पर लैब तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था।

2014 के संवर्ग नियम प्रभावी हुए। दिनांक 26.02.2014 से - नियम 6 के अनुसार योग्यता निम्नानुसार थी:-

योग्यता:- (1) मूल ग्रेड पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आई.एससी./10+2 (जीव विज्ञान) उत्तीर्ण होगी। इसके अतिरिक्त, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब तकनीशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(2) लैब तकनीशियन संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित की जाए। संबंधित वर्ष की 1 अगस्त आयु निर्धारण की कट-ऑफ तिथि मानी जाएगी।

अब '2019 के नियम', जिसमें से 2014 के संवर्ग नियम के नियम 3, 6, 7 एवं 13 प्रतिस्थापित किए गए थे - सुविधा के लिए, हम '2019 के नियम' के केवल नियम-6 को उद्धृत करते हैं, जो नीचे दिया गया है:-

“6. योग्यता:- (1) मूल श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट/+2 (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सहित अंग्रेजी) उत्तीर्ण होगी। इसके अतिरिक्त, भारत संघ और अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब तकनीशियन डिप्लोमा कोर्स/मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और उससे संबंधित प्रमाणपत्र होना आवश्यक होगा।

'2019 के नियम' भारत संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ स्नातक पाठ्यक्रमों को भी मान्यता प्रदान करते हैं।

विद्वान एकल न्यायाधीश का सुविचारित मत था कि संविदा के आधार पर कार्यरत रिट

याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था और वे 2005 की अधिसूचना और यहां तक कि काउंसलिंग के समय लागू '2019 के नियमों' के अनुसार भी पात्र थे और जिन रिट याचिकाकर्ताओं को 'बीएसएससी' द्वारा काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था, वे अपनी उम्मीदवारी पर विचार के पात्र थे।

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा में, हम केवल क्या नियम मनमाने-भेदभावपूर्ण थे और उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

रिट याचिकाकर्ता केवल वे व्यक्ति थे जिन्हें संविदा पर नियुक्त किया गया था और वे इस तथ्य से व्यथित थे कि नए नियमों के कारण उन्हें आवेदन करने से रोक दिया गया था। - 21.06.2015 का विज्ञापन '2014 के नियम' लागू होने के बाद जारी किया गया था।

... 2019 - ऐसी स्थिति में, समान योग्यता वाले सभी लोगों को आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देते हुए एक नया विज्ञापन जारी करना पड़ा - कारण चाहे जो भी हो, - सरकार ने 2015 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जो 2014 के संवर्ग नियमों के अनुरूप था।

रिट याचिकाकर्ता लैब तकनीशियन के पद पर नियुक्त संविदा कर्मचारी थे - जिन्हें नियमित चयन प्रक्रिया के बाद अपने-अपने पद छोड़ने होंगे। वास्तव में, '2014 के नियमों' के नियम 7 में भर्ती के लिए एक प्रक्रिया प्रदान की गई थी, जिसमें बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव को 25 अंकों का वेटेज दिया गया था; प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंकों के अधीन। हालाँकि, यह उम्मीदवार के लाभ के लिए तभी हो सकता था जब उसके पास सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब तकनीशियन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आवश्यक योग्यता हो।

न्यायालय '2014 के नियमों' को इस मामले में, वर्ष 2019 में बाद में लाए गए नियम से केवल इस कारण से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता कि 2014 के कैडर नियमों के अनुसार शुरू किया गया चयन तब तक पूरा नहीं हुआ था। जैसा कि हमने देखा, राज्य सरकार के पास शुरू की गई चयन प्रक्रिया को रद्द करने और संशोधित नियमों के आधार पर एक और नए चयन के साथ आगे बढ़ने का अधिकार था, जिसका उन्होंने सहारा नहीं लिया। जहाँ तक वर्तमान चयन का संबंध है, हमारा मत है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के चयन पर विचार किया जा सकता है जो वर्ष 2015 के विज्ञापन के अनुसार 2014 के कैडर नियमों के तहत योग्य हैं।

यह अत्यंत प्रासंगिक है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने न तो विज्ञापन की शर्तों को और न ही 2014 के कैडर नियमों को चुनौती दी। रिट याचिकाकर्ता, जो संविदा कर्मचारी थे, ने भी नियमितीकरण की मांग नहीं की - पात्रता की गणना उस विज्ञापन की तिथि से की जानी चाहिए जिससे चयन शुरू हुआ था, और नियमों में संशोधन के बाद भी चयन प्रक्रिया जारी रही।

जैसा कि हम देखते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने विवादित निर्णय में याचिकाकर्ताओं को पात्र मानने का निर्देश दिया और चयन के लिए याचिकाकर्ताओं पर विचार करने के बाद पूरी मेरिट सूची को संशोधित करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि वे सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर लैब तकनीशियन के रूप में कार्यरत थे और इस प्रकार '2005 के नियम' अधिसूचना और '2019 के नियम' के अनुसार पात्र थे, जिससे '2014 के नियम', जिनके आधार पर विज्ञापन जारी किया गया था, को पूरी तरह से नकार दिया गया।

जैसा कि हमने देखा, चुनौती का दायरा काफी बढ़ गया है, यहां तक कि जो लोग संविदा कर्मचारी के रूप में काम नहीं कर रहे थे, वे भी अलग-अलग रिट याचिकाओं में अपना कारण बताए बिना, हस्तक्षेपकर्ता के रूप में अभियोग लगाने की मांग करके इस लड़ाई में शामिल हो गए - हमें उक्त प्रार्थनाओं पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला - हमें एल.पी.ए. संख्या 84/2022 को छोड़कर दायर अपीलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं मिला, जिसमें विवादित फैसले ने चयन प्रक्रिया पूरी होने का पता लगाते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया था - हमें सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10905/2016, एल.पी.ए. संख्या 84/2022 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10905/2016 खारिज की जाती है - विद्वान एकल न्यायाधीशों के निर्णय को रद्द करते हुए अन्य अपीलें स्वीकार की जाती हैं, जो पहली बार 03.03.2021 को रिट याचिकाओं के एक समूह में जारी किए गए थे और बाद में अन्य विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा भी जारी किए गए थे।

हम नियुक्तियों को विज्ञापन और '2014 के नियमों' के अनुसार सख्ती से करने का निर्देश देते हैं और यदि आवश्यक हो तो चयन सूची और यहां तक कि की गई नियुक्तियों को भी संशोधित करते हैं, जो अपीलों के परिणाम के अधीन थीं।

तदनुसार आदेश दिया गया।

न्याय दृष्टान्त

1* क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम आर्य के. बाबू एवं अन्य, (2019) 8 एससीसी 587 में रिपोर्ट किया गया।

2* गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल एवं अन्य, (2009) 1 एससीसी 610 में रिपोर्ट किया गया।

3* वाई. वी. रंगैया एवं अन्य बनाम जे. श्रीनिवास एवं अन्य, एआईआर 1983 एससी 852 में रिपोर्ट किया गया।

4* हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार एवं अन्य,

(2023) 3 एससीसी 773 में रिपोर्ट किया गया।

5* पी महेन्द्रन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, एआईआर 1990 एससी 405 में रिपोर्ट किया गया।

6* एन.टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग, (1990) 3 एससीसी 157: 1990 एससीसी (एल एंड एस) 446], एससीसी पृ. 165, पैरा 11)

7* के. रामुलु और अन्य बनाम एस. सूर्यप्रकाश राव और अन्य, (1997) 3 एससीसी 565 में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 296 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी

(2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10905 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिष्णुकांत दुबे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. एन. शाही, ए. ए. जी-10

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 345 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, ए. जी.

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 372 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

- प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी
(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 374 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी
(2021 की लेटर्स अपील संख्या 376 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी
(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 387 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी
(2021 की लेटर्स अपील संख्या 413 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी. 9)
(2021 की लेटर्स अपील संख्या 414 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री प्रभात कुमार वर्मा (एएजी-3)
(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 608 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 609 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 621 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 663 में)
- अपीलार्थी/ओं के लिए : श्रीमती प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)

(2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 84 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री विश्वजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी-9)

(2023 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 399 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री जगजीत रोशन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी-9)

रिपोर्टर जिनके द्वारा मुख्य बिन्दु बनाया गया: सारंगधर उपाध्याय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 296**

=====

सुरजीत कुमार, पिता- राम प्रवेश सिंह, निवासी- जीतलाल पथ, कोल्ड स्टोर के पीछे,
करबिगहिया, थाना- जक्कनपुर, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा
महाविद्यालय, पटना-800014 के माध्यम से।
4. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-
800014।
5. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-
800014।
6. सुदिष्ट कुमार महतो, पिता-स्वर्गीय सीताराम महतो, निवासी- नबीगंज, छपरा, थाना-
भगवान बाजार, जिला-सारण, छपरा।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10905

=====

1. नवल किशोर और अन्य, पिता- श्री राम मणि पांडे, निवासी गाँव-मोरियावां, थाना-
बिक्रम, जिला-पटना।
2. अमित कुमार सिन्हा, पिता- श्री राम पदारथ अम्बष्ठ, निवासी गाँव- राय जय कृष्ण
रोड, गुरहाटा, मितनघाट, थाना- खाचेकला, जिला-पटना।
3. चंद्र भूषण सिंह, पिता- राम शंकर सिंह, निवासी- फ्लैट संख्या 207, विनसम रीजेंसी,
खगौल रोड, दानापुर, थाना- खगौल, जिला-पटना।
4. विनोद प्रसाद, पिता- विष्णु दयाल शर्मा, निवासी गाँव- महादेवपुर, थाना- रायपुर,
जिला-बक्सर ।
5. शिव कुमार यादव, पिता- श्री शरवन कुमार यादव, निवासी गाँव- टिका, थाना- बिरौल,
जिला-दरभंगा।
6. प्रीतम कुमार, पिता- मुनेश्वर शर्मा, निवासी गाँव- छोटी खंजनपुर, थाना- बरारी,
जिला- भागलपुर ।

7. राकेश कुमार, पिता- स्वर्गीय मुनि लाल प्रसाद, निवासी गाँव- बेलाव, थाना- शेखपुर सराय, जिला-शेखपुरा।
8. मणि कुमारी, पति- दिलीप कुमार सिन्हा, निवासी गाँव- सोहनी पट्टी, थाना- नगर थाना, वार्ड संख्या- 33, जिला-बक्सर।
9. रजनीश कुमार, पिता- श्री राम अयोध्या प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- चामुबिघा, थाना- मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद के निवासी हैं।
10. मुन्ना कुमार सिंह, पिता- श्री राम बचन सिंह, निवासी गाँव-खैरा, पोस्ट- सिकारिया, थाना- दरीगाँव, जिला-रोहतास।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य और अन्य
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।
5. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
7. बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड अपने सचिव, इंटरमीडिएट परिषद भवन, पटना के माध्यम से।
8. अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड वरिष्ठ माध्यमिक, बिहार, पटना।
9. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, वरिष्ठ माध्यमिक, बिहार, पटना।
10. बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव वेटनरी कॉलेज, बिहार, पटना के माध्यम से।
11. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज, बिहार, पटना।
12. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज, बिहार, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 345

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7175

=====

शरदिन्दु कुमार प्रणेश, पिता- त्रियुगी प्रसाद, निवासी गाँव-निसारपुरा, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पटना के माध्यम से
5. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार
6. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना
7. कुमार प्रवीण प्रताप, पिता- अवधेश प्रसाद कुमार, निवासी गांव- मरपा मोहन देवकुलिया, थाना- फेनहारा, जिला-पूर्वी चंपारण।
8. मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी, पिता- गयासुद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम- बाराजोर, ताला बाराजोर, थाना- झाझा, जिला- जमुई।
9. गौतम कुमार दुबे, पिता- ओंकारनाथ दुबे, निवासी गांव- देहरिडीह, थाना- के. हाट जिला-पूर्णिया।
10. राज कुमार पुरी, पिता- अर्जुन पुरी, निवासी गांव- 13, कनिहार, सुगौली, वार्ड संख्या- 5, थाना- सुगौली, जिला-पूर्वी चंपारण।
11. विमल प्रकाश, पिता- स्वर्गीय उमेश नारायण वर्मा, निवासी- मोहल्ला-बी-24, मित्र मंडल कॉलोनी, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला-पटना।
12. कार्तिकेय कुमार, पिता- श्री गोपी नाथ द्विवेदी, पिता- ग्राम-परसूनी देवजीत, थाना- मेहसी, जिला-पूर्वी चंपारण।
13. राज कुमार सिंह, पिता- गणेश प्रसाद सिंह, निवासी गांव- महिसौंधि मध्य, थाना- जमुई, जिला- जमुई।
14. विष्णु पांडे, पिता- चंद्र मोहन पांडे, निवासी- मोहल्ला- लेन-2, जनकपुरी कॉलोनी, सेंट केरेंस स्कूल के पास, थाना- रूपसपुर, जिला-पटना।

15. सतीश कुमार पांडे, पिता- स्वर्गीय देव पांडे, निवासी- मोहल्ला-मालवीय नगर (महादेवा) पी. डी. एम. कॉलेज, थाना- सिवान, जिला-सिवान।
16. मो. साजिद अख्तर, पिता- अब्दुल मोबिन, निवासी गाँव- हल्दी, पोस्ट- हल्दी, थाना- सूरजगढा, जिला- लखीसराय।
17. अजीत प्रकाश, पिता- कौसक किशोर द्विवेदी, निवासी गाँव- बिष्णुपुर, कल्याण, थाना- साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।
18. राजीव रंजन कुमार, पिता-- सूबेदार राम, निवासी- मोहल्ला- ख्रिस्त कॉलोनी कटचोचो मंदार, थाना- मंदार, जिला-राँची (झारखंड)।
19. संजीत कुमार, पिता- सत्यनारायण भगत, पिता- मोहल्ला-खशनगर वार्ड 2, थाना- सोनबरसाराज, जिला-सहरसा।
20. राम बली राय, पिता- दुनीलाल राय, पिता- मोहल्ला-विक्रम पथ सादीपुर, थाना- खानपुर, जिला-समस्तीपुर।
21. मो. अमीरुद्दीन अंसारी, पिता- मो. मुस्लिम अंसारी, निवासी- मोहल्ला-जामिला बाजार, थाना- मधुबनी, जिला-मधुबनी।
22. बिजय कुमार, पिता- वाशु देवी ठाकुर, निवासी- मोहल्ला-बरबाना वार्ड 8, थाना- रानीगंज, जिला-अररिया।
23. कुमार गुरावे, पिता- राम चंदर दुबे, निवासी- मोहल्ला-जे. पी. कॉलोनी, थाना- खाट, जिला-पूर्णिया।
24. शुभेंदु कुंड़, पिता- हीरा मान कुंड़, पिता- मोहल्ला- करखान, थाना- तलडंगड़ा, जिला- बांकुरा (पश्चिम बंगाल)।
25. संजय कुमार, पिता- राम प्रवेश राय, निवासी गांव- ब्लेहर, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।
26. मनोज कुमार, पिता- अवधेश नारायण श्रीवास्तव, निवासी मोहल्ला- छत्रधारी बाजार, एन. आर. अस्पताल चौक, छपरा, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण।
27. नरेंद्र कुमार, पिता- अवधेश बैठा, निवासी- मोहल्ला-हरलाडीह, थाना- झरिया, जिला- धनबाद (झारखंड)।
28. आशुतोष कुमार सिंह, पिता- सुरेश प्रसाद सिंह, निवासी- मोहल्ला-3/बी-सुभम हाउस, डॉ. एम. पी. शर्मा क्लिनिक, आदर्श नगर, भिंधरा, थाना- मुफस्सिल, जिला-

समस्तीपुर।

29. अनिल कुमार, पिता- बैद्यनाथ सिंह, निवासी गांव- कोइरीटोला, सुल्तानपुर, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
30. रविकांत कुणाल, पिता- विजय कुमार आजाद, पिता- मोहल्ला- आजाद भवन-1, डाकघर के पास, ढेलवां, थाना- रामकृष्ण नगर, जिला-पटना।
31. अजय प्रताप सिंह, पिता-सुरेश सिंह, निवासी गाँव- भटौनी, कबीलेशपुर, थाना- रामगढ़, जिला-कैमूर।
32. सुशील कुमार, पिता- प्रभु नंदन यादव, निवासी गांव- जीतवरपुर निज़ामात, वार्ड संख्या- 7, थाना- मुफस्सिल, जिला-समस्तीपुर।
33. अजय कुमार शर्मा, पिता- राम सागर शर्मा, निवासी ग्राम-चखाईदार, थाना- ताजपुर, जिला- समस्तीपुर।
34. चंचल कुमार, पिता- उमाकांत सिंह, निवासी ग्राम- औरे, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय।
35. मोहम्मद इखलाक अहमद, पिता- मोहम्मद रज्जाक अहमद, निवासी गांव- हबीबपुर, चंबेलीचक, रोड, थाना- भागलपुर, जिला-भागलपुर।
36. सुजीत कुमार सिंह, पिता- रामबहादुर सिंह, निवासी गाँव-28, सिल्हन, बैजनाथपुर, एकचारी, थाना- भागलपुर, जिला-भागलपुर।
37. राकेश अंशु, पिता- कृष्ण चंद्र चौधरी, निवासी गांव- 403, हरिहर अपार्टमेंट, खाजपुरा, थाना- राजीव नगर, जिला-पटना।
38. मो. तनवीर ज़की अंसारी, पिता-मोहम्मद नेसर अहमद अंसारी, निवासी गांव- राजोपट्टी, अंसारी रोड, वार्ड संख्या- 9, थाना- सीतामढ़ी, जिला- सीतामढ़ी।
39. राजीव कुमार बैठा, पिता- कृष्ण प्रसाद बैठा, निवासी गांव- छापिया, वार्ड संख्या- 24, थाना- गोपालगंज, जिला- गोपालगंज।
40. शिव प्रताप, पिता- शिकंदर प्रसाद सिंह, निवासी गांव- मलकालपुर देओढी, थाना- विद्यापीठ नगर, जिला-समस्तीपुर।
41. विष्णु देव कुमार, पिता- राम नंदन ठाकुर, ग्राम-नरहान, वार्ड संख्या- 5, थाना- विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

42. रविशंकर मिश्रा, पिता- शत्रुधन मिश्रा, निवासी गाँव-जमुनिया वार्ड संख्या- 14, पोस्ट नरकटियागंग, थाना- सीकरपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।
43. संगीत कुमारी, पिता- राजेश्वर दुबे, निवासी गांव- बकासरा, थाना- करघेर, जिला- रोहतास।
44. कामाख्या नारायण शुक्ला, पिता- राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, निवासी गाँव-बकसरा, थाना- करघर, जिला-रोहतास।
45. अमित कुमार जायसवाल, पिता- पारसनाथ जायसवाल, ग्राम- वार्ड संख्या- 9, मंगलपुरा, थाना- लौकरिया, जिला-पश्चिम चंपारण।
46. जय प्रकाश साह, पिता- जगन्नाथ साह, निवासी गांव- नरार गोथल, वार्ड संख्या- 3, थाना- कलुआही, जिला-मधुबनी।
47. राधा रमन यादव, पिता- ब्रज भूषण प्रसाद यादव, निवासी- विलास एच. एन.-2, त्यागी भवन, सगुना, बेली रोड, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
48. सुवीर कुमार, पिता- रंगनाथ रुखैयार, निवासी गाँव- बड़ी पटन देवी रोड, थाना- आलमगंज, जिला-पटना।
49. मनोज कुमार पथिक, पिता- योगेंद्र मोदी, गाँव का निवासी- वार्ड संख्या- 11, स्थान के पास, पुरानी बाज़ार, थाना- पुरानी बाज़ार, जिला-मधेपुरा।
50. समीर कुमार भारती, पिता- राजेंद्र भारती, निवासी गांव- सिरदाला, थाना- सिरदाला, जिला-नवादा।
51. रीता कुमारी, पिता- दीनानाथ प्रसाद, निवासी गांव- यू. एस. हेल्थ केयर, 28 शशि प्लेस, राम कृष्ण एवेन्यू, नाला रोड, थाना- पत्रकार नगर, जिला-पटना।
52. राजेश चंद्र गुप्ता, पिता- हेम चंद्र गुप्ता, निवासी गांव- 10, मनभावन के पास, नासरीगंज, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
53. राजेश कुमार, पिता- चतुरी मेहता, निवासी ग्राम- वार्ड संख्या- 2, नरदेह, नया टोला, थाना- पुरैनी, जिला-मधेपुरा।
54. रुपेश कुमार पासवान, पिता- सीताराम पासवान, निवासी गाँव- सुरैती टोला- नवगछिया, पोस्ट डुमरा, थाना- भवानीपुर, जिला- पूर्णिया।
55. सुरेंद्र कुमार, पिता- कामता प्रसाद चौधरी, निवासी गांव- नौबतपुर, थाना- पालीगंज, जिला- पटना।

56. आनंद नाथ ठाकुर, पिता- तारकेश्वर ठाकुर, निवासी गांव- तरार हाई स्कूल, पोस्ट तरार, थाना- घोघा, जिला-भागलपुर।
57. पवन कुमार मिश्रा, पिता- राजेंद्र मिश्रा, निवासी गाँव-शांति नगर, थाना- के. हाट, जिला- पूर्णिया।
58. लव कुमार, पिता- भोला नाथ ठाकुर, निवासी गांव- शिवमंदिर के पास कंसर, थाना- रजापाकर, जिला- वैशाली।
59. मोहम्मद शहीद अख्तर, पिता- अलमुद्दीन, निवासी गांव- मीता सिंह टोला, थाना- अथमलगोला, जिला-पटना।
60. संतोष कुमार, पिता- राजदेव ठाकुर, निवासी गाँव-गोआई, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना।
61. रमेश कुमार चौधरी, पिता- कैलाश चौधरी, निवासी गांव- सहियारा, थाना- सहियारा, जिला-सीतामढ़ी।
62. मोहम्मद बाबर हुसैन, पिता- मोहम्मद कमरुज्जामा, निवासी गाँव- मालोपारा, टोला- डुमरिया, थाना- रौता, जिला-पूर्णिया।
63. सुधांशु प्रकाश, पिता- शरमानंद मेहता, निवासी गाँव- महेशपुरा मध्य राजकीय विद्यालय थाना- मेहदीगंज, जिला-पटना।
64. अरुण कुमार, पिता- राजेंद्र प्रसाद, निवासी गांव- पेचना रोड, किउल बस्ती, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय।
65. ब्रजेश कुमार सिंह, पिता- अनंत लाल सिंह, निवासी गांव- मिल्की गंगटा, थाना- गंतामोरे, जिला-मुंगेर।
66. सुजीत कुमार, पिता- अवधेश कुमार सिंह, ग्राम- रामचंद्र दोहोजी, थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
67. अब्दुल मतीन, पिता- मो. अमीन, निवासी गाँव- गोपालपुर, थाना- पारो, जिला- मुजफ्फरपुर।
68. मो. हबीबुर रहमान, पिता- नसीरुद्दीन, निवासी गाँव- चक्करखी, भटवाड़ा, थाना- काढ़ा, जिला-कटिहार।
69. सुमित कुमार राम, पिता- कालेश्वर राम, निवासी गांव- दबील, थाना- खैरा, जिला- जमुई।

70. शिवनंदन कुमार, पिता- राम नारायण राय, निवासी गाँव- मुबारकपुर, थाना- कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर।
71. मुकेश कुमार झा, पिता- स्वर्गीय यदुवीर झा, निवासी- ग्राम प्रभात कॉलोनी, डोनर चौक, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।
72. अनिल कुमार, पिता- चंदेश्वर ठाकुर, निवासी गाँव- भगवानपुर, थाना- भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
73. बिनोद कुमार दास, पिता- रामचंद्र दास, निवासी गाँव-सर्मस्तपुर, थाना- महनार, जिला- वैशाली।
74. शमीम अहमद, पिता- अब्दुल समद, निवासी गांव- मासूमगंज, भगवान बाजार, थाना- भगवान बाजार, जिला- सारण।
75. विकास कुमार मेहता, पिता- रघुवीर प्रसाद मेहता, निवासी गांव- कुम्हारी, थाना- कडवा, जिला- कटिहार।
76. सुनील कुमार, पिता- स्वर्गीय गोविंद प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम चकसपिया, थाना- राजपुर, जिला-बांका।
77. शैलेंद्र कुमार, पिता- कामता प्रसाद चौधरी, निवासी गांव- पालीगंज, थाना- पालीगंज, जिला-पटना।
78. विक्रान्त, पिता- घनश्याम प्रसाद, निवासी गाँव- कटिहार, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार।
79. शिव कुमार यादव, पिता- शरवन कुमार यादव, निवासी ग्राम- डाक, थाना- सोनपुर, जिला- दरभंगा।
80. अशोक कुमार सिंह, पिता- बशिष्ठ नारायण सिंह, निवासी गांव- एच. एन.-18, थाना- जमुई, जिला- जमुई।
81. शरद कुमार, पिता- अमरेंद्र कुमार, निवासी गांव- कर्णवाड़ा, थाना- खैरा, जिला-जमुई।
82. संजय कुमार राम, पिता- बैजनाथ राम, निवासी गांव- जैतपुरा, थाना- नोआन, जिला- कैमूर।
83. गजेंद्र कुमार, पिता- रमाकांत प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- यारपुर राजपुताना, गर्दनीबाग, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना।

84. सैमुल अर्नेश हेम्ब्रम, पिता- क्रिस्टियनवेल हेम्ब्रम, निवासी गाँव- बामदाह, थाना- जमुई, जिला- जमुई।
85. मोहसिन रजा, पिता- मोहम्मद जाकिर हुसैन, निवासी गाँव- सैदपुर गणेश, पानापुर, थाना- बिड़ुपुर, जिला-वैशाली।
86. राकेश कुमार, पिता- अशोक चौधरी, निवासी गाँव- सिकंदरा, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई।
87. राकेश कुमार, पिता- अर्जुन पासवान, निवासी गाँव- महादेव सिमरिया, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई।
88. राजेश कुमार विशकर्मा, पिता- राम प्रसाद मिश्री, पिता- ग्राम- कल्लूबारा, थाना- मुंगेर, जिला-मुंगेर।
89. रोहन मुकेश कुमार, पिता- राजा लाल महतो, निवासी गाँव-सुखासन चकला वार्ड संख्या- 3, उत्तरवारी, थाना- मधेपुरा, जिला-मधेपुरा।
90. प्रमोद कुमार रवि, पिता- मुखन पासवान, निवासी गाँव-गोगो, राजबरियाकला के बाद, थाना- नवीनगर, जिला-औरंगाबाद

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 372

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7175

=====

1. सुजीत कुमार, पिता- लाखी चंद साह, निवासी- गिरिजा निकेतन, नारायणी अस्पताल रोड, हनुमान मंदिर, नंद लाल छपरा, थाना- राम कृष्ण नगर, जिला-पटना।
2. सूर्यदेव राँय, पिता- स्वर्गीय पूरन राँय, निवासी गाँव- मंगरौना, थाना- आंध्र थारही, जिला-मधुबनी ।
3. उपेंद्र रंजन कुमार, पिता- राज नंदन यादव, निवासी- नवरंगी स्कूल, जनता रोड, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना।
4. दिलीप कुमार, पिता- अमोला यादव, निवासी गाँव- रसलपुर साहिला, थाना- सदर,

जिला- दरभंगा।

5. उमेश कुमार, पिता-स्वर्गीय गणेश दत्ता सिन्हा, निवासी- नथुपुर सिरा, थाना- परसा बाजार, जिला- पटना।
6. जितेंद्र कुमार जोशी, पिता- शिव नारायण सुमन, निवासी गांव- सिंगराही, थाना- लदनिया, जिला- मधुबनी ।
7. रणजीत कुमार, पिता-राजेंद्र सिंह, गाँव- सरौती, थाना- रामपुर चौरम, जिला- अरवल।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पटना के माध्यम से।
5. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार।
6. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
7. कुमार प्रवीण प्रताप, पिता-अवधेश प्रसाद कुमार, निवासी गाँव- मरपा मोहन देवकुलिया, थाना- फेनहारा, जिला-पूर्वी चंपारण।
8. मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी, पिता- गयासुद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम- बाराजोर, ताला बाराजोर, थाना- झांझा, जिला-जमुई।
9. गौतम कुमार दुबे, पिता- ओंकारनाथ दुबे, निवासी गांव- देहरिडीह, थाना- के.हाट, जिला- पूर्णिया।
10. राज कुमार पुरी, पिता- अर्जुन पुरी, निवासी गांव- 13, कनिहार, सुगौली, वार्ड संख्या- 5, थाना- सुगौली, जिला-पूर्वी चंपारण।
11. विमल प्रकाश, पिता- स्वर्गीय उमेश नारायण वर्मा, निवासी- मोहल्ला-बी-24, मित्र मंडल कॉलोनी, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला-पटना।
12. कार्तिकेय कुमार, पिता- श्री गोपी नाथ द्विवेदी, पिता- ग्राम- परसूनी देवजीत, थाना- मेहशी, जिला-पूर्वी चंपारण।

13. राज कुमार सिंह, पिता- गणेश प्रसाद सिंह, निवासी गांव- महिसौधी मध्य, थाना- जमुई, जिला-जमुई।
14. विष्णु पांडे, पिता- चंद्र मोहन पांडे, निवासी- मोहल्ला- लेन-2, जनकपुरी कॉलोनी, सेंट केरेंस स्कूल के पास, थाना- रूपसपुर, जिला-पटना।
15. सतीश कुमार पांडे, पिता- स्वर्गीय देव पांडे, निवासी मोहल्ला- मालवीय नगर (महादेवा) पी. डी. एम. कॉलेज, थाना- सिवान, जिला-सिवान।
16. मो. साजिद अख्तर, पिता- अब्दुल मोबिन, निवासी गाँव-हल्दी, डाकघर हल्दी, थाना- सूरजगढा, जिला- लखीसराय।
17. अजीत प्रकाश, पिता- कौसक किशोर द्विवेदी, निवासी गाँव-बिष्णुपुर, कल्याण, थाना- साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।
18. राजीव रंजन कुमार, पिता-सुबेदार राम, निवासी- मोहल्ला-ख्रिस्ट कॉलोनी काचोचो मंदार, थाना- मंदार, जिला-रांची (झारखंड) ।
19. संजीत कुमार, पिता- सत्यनारायण भगत, पिता- मोहल्ला-खशनगर वार्ड 2, थाना- सोनबरसाराज, जिला-सहरसा।
20. राम बली राय, पिता- दुनीलाल राय, पिता- मोहल्ला-विक्रम पथ सादिपुर, थाना- खानपुर, जिला-समस्तीपुर।
21. मो. अमीरुद्दीन अंसारी, पिता- मो. मुस्लिम अंसारी, निवासी- मोहल्ला-जामिला बाजार, थाना- मधुबनी, जिला-मधुबनी।
22. बिजय कुमार, पिता- वाशु देवी ठाकुर, निवासी- मोहल्ला-बरबाना वार्ड 8, थाना- रानीगंज, जिला-अररिया।
23. कुमार गुरावे, पिता- राम चंदर दुबे, निवासी- मोहल्ला-जे. पी. कॉलोनी, थाना- खात, जिला-पूर्णिया।
24. शुभेंदु कुंड़, पिता- हीरामन कुंड़, निवासी- मोहल्ला-करखान, थाना- तलडांगा, जिला- बांकुरा (पश्चिम बंगाल) ।
25. संजय कुमार, पिता- राम प्रवेश राय, निवासी गांव- ब्लेहर, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।
26. मनोज कुमार, पिता- अवधेश नारायण श्रीवास्तव, निवासी- मोहल्ला-छात्र धारी बाजार, एन. आर. अस्पताल चौक, छपरा, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण।

27. नरेंद्र कुमार, पिता- अवधेश बैठा, पिता- मोहल्ला-हरलाडीह, थाना- झरिया, जिला- धनबाद (झारखंड)।
28. आशुतोष कुमार सिंह, पिता-सुरेश प्रसाद सिंह, मोहल्ला-3/बी-सुभम हाउस निवासी-, डॉ. एम. पी. शर्मा क्लिनिक, आदर्श नगर, भुईंढरा, थाना- मुफस्सिल, जिला- समस्तीपुर।
29. अनिल कुमार, पिता- बैद्यनाथ सिंह, निवासी गाँव-कोइरी टोला, सुल्तानपुर, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
30. रविकांत कुणाल, पिता-विजय कुमार आजाद, मोहल्ला-आजाद भवन-1 का निवासी-, डाकघर के पास, ढेलवां, पुलिस थानाथाना- राम कृष्णनगर, जिला-पटना।
31. अजय प्रताप सिंह, पिता- सुरेश सिंह, निवासी गांव- भटौनी, कबीलेशपुर, थाना- रामगढ़, जिला-कैमूर।
32. सुशील कुमार, पिता- प्रभु नंदन यादव, निवासी गांव- जीतवरपुर निज़ामात, वार्ड संख्या- 7, थाना- मुफस्सिल, जिला-समस्तीपुर।
33. अजय कुमार शर्मा, पिता- राम सागर शर्मा, निवासी ग्राम-चखाईदार, थाना- ताजपुर, जिला-समस्तीपुर।
34. चंचल कुमार, पिता- उमाकांत सिंह, निवासी ग्राम- औरे, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय।
35. मो. इखलाक अहमद, पिता- मोहम्मद रज्जाक अहमद, निवासी गांव- हबीबपुर चंबेलीचक, रोड थाना- भागलपुर, जिला-भागलपुर ।
36. सुजीत कुमार सिंह, पिता- रामबहादुर सिंह, निवासी गांव- 28, सिलहान बैजनाथपुर, एकचारी, थाना- भागलपुर, जिला-भागलपुर ।
37. राकेश अंशु, पिता- कृष्ण चंद्र चौधरी, निवासी गांव- 403, हरिहर अपार्टमेंट, खाजपुरा, थाना- राजीव नगर, जिला-पटना।
38. मो. तनवीर ज़की अंसारी, पिता- मोहम्मद नेसर अहमद अंसारी, निवासी गांव- राजोपट्टी, अंसारी रोड, वार्ड संख्या- 9, थाना- सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।
39. राजीव कुमार बैठा, पिता- कृष्ण प्रसाद बैठा, निवासी गांव- छापिया, वार्ड संख्या- 24, थाना- गोपालगंज, जिला-गोपालगंज।
40. शिव प्रताप, पिता- शिकंदर प्रसाद सिंह, निवासी गांव- मलकालपुर देवड़ी, थाना-

विद्यापीठ नगर, जिला-समस्तीपुर।

41. विष्णु देव कुमार, पिता- राम नंदन ठाकुर, ग्राम-नरहान, वार्ड संख्या- 5, थाना- बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।
42. रविशंकर मिश्रा, पिता- शत्रुधन मिश्रा, निवासी गाँव- जामुनिया वार्ड संख्या- 14, पोस्ट- नरकटियागंज, थाना- सीकरपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।
43. संगीत कुमारी, पिता-राजेश्वर दुबे, निवासी- ग्राम- बकासरा, थाना- करघर, जिला- रोहतास।
44. कामाख्या नारायण शुक्ला, पिता-राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, निवासी गाँव- बकसरा, थाना- करघर, जिला-रोहतास।
45. अमित कुमार जायसवाल, पिता- पारसनाथ जायसवाल, ग्राम- वार्ड संख्या- 9, मंगलपुरा, थाना- लकरिया, जिला-पश्चिम चंपारण।
46. जय प्रकाश साह, पिता- जगन्नाथ साह, निवासी गाँव- नरार गोथल, वार्ड संख्या- 3, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी।
47. राधा रमन यादव, पिता- ब्रज भूषण प्रसाद यादव, निवासी- विलास एच. एन.-2, त्यागी भवन, सगुना, बेली रोड, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
48. सुबीर कुमार, पिता- रंगनाथ रुखैयार, निवासी गाँव- बड़ी पटन देवी रोड, थाना- आलमगंज, जिला-पटना।
49. मनोज कुमार पथिक, पिता- योगेंद्र मोदी, गाँव का निवासी- वार्ड संख्या- 11, स्थान के पास, पुरानी बाज़ार, थाना- पुरानी बाज़ार, जिला-मधेपुरा
50. समीर कुमार भारती, पिता- राजेंद्र भारती, निवासी गाँव- सिरदाला, थाना- सिरदाला, जिला-नवादा।
51. रीता कुमारी, पिता-दीनानाथ प्रसाद, निवासी गाँव- यू. एस. हेल्थ केयर, 28 शशि प्लेस, राम कृष्ण एवेन्यू, नाला रोड, थाना. पत्रकार नगर, जिला-पटना।
52. राजेश चंद्र गुप्ता, पिता- हेम चंद्र गुप्ता, निवासी गाँव- 10, मान भवन के पास, नासरीगंज, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
53. राजेश कुमार, पिता- चतुरी मेहता, निवासी ग्राम-वार्ड संख्या- 2, नारदेह, नया टोला, थाना- पुरैनी, जिला-मधेपुरा।

54. रुपेश कुमार पासवान, पिता- सीताराम पासवान, निवासी गाँव- सुरैती टोला, नौगछिया, पोस्ट- डुमरा, थाना- भवानीपुर, जिला-पूर्णिया।
55. सुरेंद्र कुमार, पिता- कामता प्रसाद चौधरी, निवासी गांव- नौबतपुर, थाना- पालीगंज जिला- पटना।
56. आनंद नाथ ठाकुर, पिता- तारकेश्वर ठाकुर, निवासी गांव- तरार हाई स्कूल, पोस्ट तरार, थाना- घोघा, जिला-भागलपुर।
57. पवन कुमार मिश्रा, पिता- राजेंद्र मिश्रा निवासी गांव- शांति नगर, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।
58. लव कुमार, पिता- भोला नाथ ठाकुर, निवासी गांव- शिवमंदिर के पास कांसर, थाना- रजापाकर, जिला-वैशाली।
59. मोहम्मद शहीद अख्तर, पिता- अलमुद्दीन, निवासी गाँव- मीता सिंह टोला, थाना- अठमलगोला, जिला-पटना।
60. संतोष कुमार, पिता- राजदेव ठाकुर, निवासी गाँव-गोआई, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना।
61. रमेश कुमार चौधरी, पिता- कैलाश चौधरी, निवासी- ग्राम सहियारा, थाना- सहियारा, जिला-सीतामढ़ी।
62. मोहम्मद बाबर हुसैन, पिता- मोहम्मद कमरुज्जामा, निवासी गाँव- मालोपारा, टोला- डुमरिया, थाना- रौता , जिला-पूर्णिया।
63. सुधांशु प्रकाश, पिता- शरमानंद मेहता, निवासी गाँव- महेशपुरा मध्य राजकीय विद्यालय, थाना- मेहदीगंज, जिला-पटना।
64. अरुण कुमार, पिता- राजेंद्र प्रसाद, निवासी गांव- पेचना रोड, किउल बस्ती, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय।
65. ब्रजेश कुमार सिंह, पिता- अनंत लाल सिंह, निवासी गांव- मिल्की गंगटा, थाना- गंगातमोरे, जिला-मुंगेर।
66. सुजीत कुमार, पिता- अवधेश कुमार सिंह, ग्राम- रामचंद्र दोहोजी, थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
67. अब्दुल मतीन, पिता- मो. अमीन, निवासी गाँव- गोपालपुर, थाना- पारो, जिला- मुजफ्फरपुर।

68. मो. हबीबुर रहमान, पिता- नसीरुद्दीन, निवासी गाँव- चक्करखी, भटवाड़ा, काढ़ा, जिला- कटिहार।
69. सुमित कुमार राम, पिता- कालेश्वर राम, निवासी गांव- दबील, खैरा, जिला-जमुई।
70. शिवनंदन कुमार, पिता- राम नारायण राय, निवासी गाँव- मुबारकपुर, थाना- काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर।
71. मुकेश कुमार झा, पिता- स्वर्गीय यादूबीर झा, निवासी- ग्राम प्रभात कॉलोनी, डोनर चौक, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।
72. अनिल कुमार, पिता- चंदेश्वर ठाकुर, निवासी गाँव- भगवानपुर, थाना- भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
73. बिनोद कुमार दास, पिता- रामचंद्र दास, निवासी गाँव- सर्मास्तपुर, थाना- महनार, जिला-वैशाली
74. शमीम अहमद, पिता- अब्दुल समद, निवासी गांव- मासूमगंज, भगवान बाजार, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण।
75. विकास कुमार मेहता, पिता- रघुवीर प्रसाद मेहता, निवासी गांव- कुम्हारी, थाना- कडवा, जिला-कटिहार।
76. सुनील कुमार, पिता- स्वर्गीय गोविंद प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम- चकसपिया, थाना- राजपुर, जिला-बांका।
77. शैलेंद्र कुमार, पिता- कामता प्रसाद चौधरी, निवासी गांव- पालीगंज, थाना- पालीगंज, जिला-पटना।
78. विक्रान्त, पिता- घनश्याम प्रसाद, निवासी गाँव- कटिहार, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार।
79. शिव कुमार यादव, पिता- शर्वन कुमार यादव, निवासी ग्राम- डाक, थाना- सोनपुर, जिला- दरभंगा।
80. अशोक कुमार सिंह, पिता- बशिष्ठ नारायण सिंह, निवासी गांव- एच. एन.-18, थाना- जमुई, जिला-जमुई।
81. शरद कुमार, पिता- अमरेंद्र कुमार, निवासी गाँव कर्णवाड़ा, थाना- खैरा, जिला जमुई।
82. संजय कुमार राम, पिता- बैजनाथ राम, निवासी गांव- जैतपुरा, थाना- नोआन, जिला-

कैमूर।

83. गजेंद्र कुमार, पिता- रमाकांत प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- यारपुर राजपुताना, गर्दनीबाग, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना।
84. सैमुल अर्नेश हेम्ब्रम, पिता- क्रिस्टियनवेल हेम्ब्रम, निवासी गाँव- बामदाह, थाना- जमुई, जिला-जमुई।
85. मोहसिन रजा, पिता- मोहम्मद जाकिर हुसैन, निवासी गाँव- सैदपुर गणेश, पानापुर, थाना- बिड्डुपुर, जिला-वैशाली।
86. राकेश कुमार, पिता- अशोक चौधरी, निवासी गाँव- सिकंदरा, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई।
87. राकेश कुमार, पिता- अर्जुन पासवान, निवासी गाँव- महादेव सिमरिया, थाना- सिकंदरा, जिला-जमुई।
88. राजेश कुमार विश्वकर्मा, पिता- राम प्रसाद मिश्री, पिता- ग्राम- कल्लूबारा, थाना- मुंगेर, जिला- मुंगेर।
89. रोहन मुकेश कुमार, पिता- राजा लाल महतो, निवासी गाँव- सुखासन चकला वार्ड संख्या- 3, उत्तरवारी, थाना- मधेपुरा, जिला-मधेपुरा।
90. प्रमोद कुमार रवि, पिता- मुखन पासवान, निवासी गाँव- गोगो, पोस्ट- राजबरियाकला, थाना- नवीनगर, जिला-औरंगाबाद।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 374

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6761

=====

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014 के माध्यम से।
2. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना- 800014।

3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014।

.....याचिकाकर्ता/ओं

1. सुदिष्ट कुमार महतो, पिता- स्वर्गीय सीताराम महतो, निवासी- नबीगंज, छपरा, थाना- भगवान बाजार, जिला- सारण, छपरा।
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 376

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7175

=====

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014 के माध्यम से।
2. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014।
3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. कुमार प्रवीण प्रताप, पिता- अवधेश प्रसाद कुमार, निवासी गांव- मरपा मोहन देवकुलिया थाना- फेनहारा, जिला-पूर्वी चंपारण।
2. मो. जावेद अख्तर अंसारी, पिता- ग्यासुद्दीन अंसारी, निवासी गांव- बाराजोर, ताला बाराजोर, थाना- झाझा, जिला-जमुई।
3. गौतम कुमार दुबे, पिता- ओंकारनाथ दुबे, निवासी गांव- देहरिडीह, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।
4. राज कुमार पुरी, पिता- अर्जुन पुरी, निवासी गांव- 13, कनिहार, सुगौली, वार्ड संख्या-

- 5, थाना- सुगौली-जिला-पूर्वी चंपारण।
5. विमल प्रकाश, पिता- स्वर्गीय उमेश नारायण वर्मा, निवासी- मोहल्ला-बी-24, मित्र मंडल कॉलोनी, थाना- फुलवारीशरीफ।
6. कार्तिकेय कुमार, पिता- श्री गोपी नाथ द्विवेदी, निवासी ग्राम- परसूनी देवजीत, थाना- महेशी, जिला-पूर्व।
7. राज कुमार सिंह, पिता- गणेश प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- महिससौधी मध्य, थाना- जमुई, जिला-जमुई।
8. विष्णु पांडे, पिता- चंद्र मोहन पांडे, निवासी- मोहल्ला-लेन-2, जनकपुरी कॉलोनी, सेंट केरेंस स्कूल के पास, थाना- रूपसपुर, जिला-पटना।
9. सतीश कुमार पांडे, पिता- स्वर्गीय देव पांडे, निवासी मोहल्ला- मालवीय नगर (महादेव) पी. डी. एम. कॉलेज, थाना- सिवान, जिला- सिवान।
10. मो. साजिद अख्तर, पिता- अब्दुल मोबिन, निवासी गांव- हल्दी, पोस्ट हल्दी, थाना. सूरजगढ़ा, जिला- लखीसराय।
11. अजीत प्रकाश, पिता- कौसक किशोर द्विवेदी, निवासी गाँव- बिष्णुपुर, कल्याण, थाना- साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर।
12. राजीव रंजन कुमार, सूबेदार राम, मोहल्ला- खारिस्ट कॉलोनी कछोचो मंदार, थाना- मंदार, जिला-रांची (झारखंड)।
13. संजीत कुमार, पिता- सत्यनारायण भगत, पिता- मोहल्ला खशनगर वार्ड 2, थाना- सोनबरसाराज, जिला-सहरसा।
14. राम बली राय, पिता- दुनीलाल राय, निवासी- मोहल्ला विक्रम पथ सादिपुर, थाना- खानपुर, जिला-समस्तीपुर।
15. मो. अमीरुद्दीन अंसारी, पिता- मो. मुस्लिम अंसारी, निवासी- मोहल्ला-जामिला बाजार, थाना- मधुबनी, जिला-मधुबनी।
16. बिजय कुमार, पिता- बाशु देवी ठाकुर, निवासी- मोहल्ला-बरबाना वार्ड संख्या- 8, थाना- रानी गंज, जिला-अररिया।
17. कुमार गुरावे, पिता- रामचंद्र दुबे, निवासी- मोहल्ला-जे. पी. कॉलोनी, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।

18. शुभेंदु कुंड़, पिता-हीरा मान कुंड़, निवासी- मोहल्ला- कारखान, थाना- तलदांगरा, जिला-बांकुरा (पश्चिम बंगाल)।
19. संजय कुमार, पिता- राम प्रवेश राय, निवासी गांव- बालेहर, थाना- दरियापुर, जिला- सारण।
20. मनोज कुमार, पिता- अवधेश नारायण श्रीवास्तव, निवासी मोहल्ला- छात्र धारी बाजार, एन. आर. अस्पताल चौक, छपरा, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण।
21. नरेंद्र कुमार, पिता- अवधेश बैठा, निवासी- मोहल्ला-होरलडीह थाना- झरिया, जिला- धनबाद (झारखंड)।
22. आशुतोष कुमार सिंह, पिता- सुरेश प्रसाद सिंह, निवासी- मोहल्ला-3/बी-सुभम हाउस, डॉ. एम. पी. शर्मा क्लीनिक, आदर्श नगर, भिंधरा, थाना- मुफस्सिल, जिला- समस्तीपुर।
23. अनिल कुमार, पिता- बैद्यनाथ सिंह, निवासी गांव- कोइरीटोला, सुल्तानपुर, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
24. रविकांत कुणाल, पिता- विजय कुमार आजाद, पिता- मोहल्ला-आजाद भवन-1, डाकघर के पास, ढेलवां, थाना- रामकृष्णनगर।
25. अजय प्रताप सिंह, पिता- सुरेश सिंह, निवासी गांव- भटौनी कबीलेशपुर, थाना- रामगढ़, जिला-कैमूर।
26. सुशील कुमार, पिता- प्रभु नंदन यादव, निवासी ग्राम- जीतवरपुर निज़ामात वार्ड नं. 7, थाना- मुफस्सिल ।
27. अजय कुमार शर्मा, पिता- राम सागर शर्मा, पिता- ग्राम चखाईदार थाना- ताजपुर, जिला-समस्तीपुर।
28. चंचल कुमार, पिता- उमाकांत सिंह, निवासी- गाँव औरै, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय।
29. मो. इखलाक अहमद, पिता- मोहम्मद रज्जाक अहमद, निवासी गांव- हबीबपुर चंबेलीचक रोड, थाना- भागलपुर, जिला-भागलपुर।
30. सुजीत कुमार सिंह, पिता- रामबहादुर सिंह, निवासी गाँव-28, सिलहान, बैजनाथपुर, एकचारी, थाना- भागलपुर, जिला-भागलपुर।
31. राकेश अंशु, पिता- कृष्ण चंद्र चौधरी, निवासी गांव- 403, हरिहर अपार्टमेंट, खाजपुरा,

थाना- राजीव नगर, जिला-पटना।

32. मो. तनवीर ज़की अहमद अंसारी, पिता- मोहम्मद निसार अहमद अंसारी, निवासी- ग्राम राजोपट्टी, अंसारी रोड वार्ड संख्या- 9, थाना- सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।
33. राजीव कुमार बैठा, पिता- कृष्ण प्रसाद बैठा, निवासी गाँव-छापिया, वार्ड संख्या- 24, थाना- गोपालगंज, जिला-गोपालगंज।
34. शिव प्रताप, पिता- सिकंदर प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- मलकालपुर देवड़ी, थाना- विद्यापति नगर, जिला-समस्तीपुर।
35. विष्णु देव कुमार, पिता- राम नंदन ठाकुर, निवासी गांव- नरहान वार्ड संख्या- 5, थाना- बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।
36. रविशंकर मिश्रा, पिता- शत्रुधन मिश्रा, निवासी गाँव-जमुनिया वार्ड संख्या- 14, पोस्ट नरकटियागंज, थाना- सीकरपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।
37. संगीत कुमारी, पिता-राजेश्वर दुबे, निवासी गांव- बकासरा, थाना- करघेर, जिला- रोहतास।
38. कामाख्या नारायण शुक्ला, पिता- राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, निवासी गाँव-बकासरा, थाना- करघेर, जिला-रोहतास।
39. अमित कुमार जायसवाल, पिता- पारसनाथ जायसवाल, निवासी गाँव- वार्ड नं.-9, मंगलपुरा, थाना- लकरिया, जिला- पश्चिम चंपारण।
40. जय प्रकाश साह, पिता- जगन्नाथ साह, निवासी गांव- नरार गोथल, नंबर 3, थाना- कलुआही, जिला-मधुबनी।
41. राधा रमन यादव, पिता- ब्रज भूषण प्रसाद यादव, निवासी गांव- एच. एन.-2, त्यागी भवन, सगुना, बेली रोड, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
42. सुबीर कुमार, पिता- रंगनाथ रुखैयार, निवासी गाँव-बड़ी पटन देवी रोड, थाना- आलमगंज, जिला-पटना।
43. मनोज कुमार पथिक, पिता- योगेंद्र मोदी, निवासी गाँव-वार्ड संख्या- 11 स्थान के पास, पुरानी बाज़ार, थाना- पुरानी बाज़ार, जिला- मधुबनी।
44. समीर कुमार भारती, पिता- राजेंद्र भारती, निवासी गांव- सिरदाला, थाना- सिरदाला, जिला-नवादा।

45. रीता कुमारी, पिता- दीनानाथ प्रसाद, निवासी गांव- यू. एस. हेल्थ केयर, 28 शशि पैलेस, राम कृष्ण एवेन्यू, नाला रोड, थाना- पत्रकार नगर, जिला-पटना।
46. राजेश चंद्र गुप्ता, पिता- हेम चंद्र गुप्ता, निवासी गाँव-10, मान भवन के पास, नासरीगंज, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
47. राजेश कुमार, पिता- चतुरी मेहता, निवासी गाँव- वार्ड संख्या- 2, नारदेह, नयाटोला, थाना- पुरैनी जिला मधुबनी।
48. रूपेश कुमार पासवान, पिता- सीताराम पासवान, निवासी गाँव- सुरैती टोला, नवगछिया, पोस्ट डुमरा, थाना- भवानीपुर, जिला-पूर्णिया।
49. सुरेंद्र कुमार, पिता- कामता प्रसाद चौधरी, निवासी गाँव-नौबतपुर, थाना- पालीगंज, जिला-पटना।
50. आनंद नाथ ठाकुर, पिता- तारकेश्वर ठाकुर, निवासी- ग्राम तरार उच्च विद्यालय, पोस्ट तरार, थाना- घोघा, जिला-भागलपुर।
51. पवन कुमार मिश्रा, पिता- राजेंद्र मिश्रा, निवासी गाँव-शांति नगर, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।
52. लव कुमार पिता- भोला नाथ ठाकुर, निवासी गांव- शिव मंदिर के पास कांसर, थाना- रजापाकर, जिला-वैशाली।
53. मो. शहीद अख्तर, पिता- अलमुद्दीन, निवासी गाँव- मित्र सिंह टोला, थाना- अथमलगोला, जिला- पटना।
54. संतोष कुमार, पिता- राजदेव ठाकुर, निवासी गाँव- गोआई, थाना- नौबतपुरी, जिला- पटना।
55. रमेश कुमार चौधरी, पिता- कैलाश चौधरी, निवासी गाँव- साहियारा, थाना- साहियारा, जिला- सीतामढ़ी।
56. मो. बाबर हुसैन, पिता- मोहम्मद कमरुज्जामा, निवासी गाँव- मालोपारा, टोला- डुमरिया, थाना- रौता, जिला- पूर्णिया।
57. सुधांशु प्रकाश पिता- शरमानंद मेहता, निवासी गाँव- महेशपुरा मध्य राजकीय विद्यालय थाना- मेहदीगंज, जिला-पटना।
58. अरुण कुमार, पिता- राजेंद्र प्रसाद, निवासी गाँव- पेचाइना रोड, किउल बस्ती, थाना- लखीसराय, जिला- लखीसराय।

59. ब्रजेश कुमार सिंह पिता- अनंत लाल सिंह, निवासी गांव- मिल्की गंगटा, थाना- गंटामोर, जिला मुंगेर।
60. सुजीत कुमार, पिता- अवधेश कुमार सिंह, निवासी गांव- रामचंद्र देहोजी, थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
61. अब्दुल मतीन, पिता- मो. अमीन, निवासी गाँव-गोपालपुर, थाना- पारो, जिला- मुजफ्फरपुर।
62. मो. हबीबुर रहमान, पिता- नसीरुद्दीन, निवासी गाँव- चक्करखी, भटवाड़ा, थाना- काढ़ा, जिला-कटिहार।
63. सुमित कुमार राम, पिता- कालेश्वर राम, निवासी गाँव-दबील, थाना- खैरा, जिला जमुई।
64. शिवनंदन कुमार, पिता- राम नारायण राय, निवासी गाँव-मुबारकपुर, थाना- कांति, जिला-मुजफ्फरपुर।
65. मुकेश कुमार झा, पिता- स्वर्गीय यदूबिरझा, निवासी गाँव- प्रभात कॉलोनी, डोनर चौक, थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।
66. अनिल कुमार पिता- चंदेश्वर ठाकुर, निवासी गाँव- भगवानपुर, थाना- भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
67. बिनोद कुमार दास, पिता- रामचंद्र दास, निवासी गांव- सरमस्तपुर, थाना- महनार, जिला-वैशाली।
68. शमीम अहमद पिता- अब्दुल समद, निवासी गांव- मासूमगंज, भगवान बाजार, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण।
69. विकास कुमार मेहता, पिता- रघुवीर प्रसाद मेहता, निवासी गांव- कुम्हारी, थाना- कडवा जिला-कटिहार।
70. सुनील कुमार, पिता- स्वर्गीय गोविंद प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम चक्सपिया, थाना- राजपुर, जिला-बांका।
71. शैलेंद्र कुमार, पिता- कामता प्रसाद चौधरी, निवासी गांव- पालीगंज, थाना- पालीगंज, जिला-पटना।
72. विक्रान्त, पिता- घनश्याम प्रसाद, निवासी गाँव-कटिहार, थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।

73. शिव कुमार यादव, पिता- शरवन कुमार यादव, निवासी ग्राम-डाक, थाना- सोनपुर, जिला-दरभंगा।
74. अशोक कुमार सिंह, पिता- बशिष्ठ नारायण सिंह, निवासी गांव- एच. एन.-18, थाना- जमुई, जिला-जमुई।
75. शरद कुमार, पिता- अमरेंद्र कुमार, निवासी गांव- कर्णवाड़ा, थाना- खैरा, जिला-जमुई।
76. संजय कुमार राम, पिता- बैजनाथ राम, निवासी गाँव- जैतपुरा, थाना- नोआन, जिला- कैमूर।
77. गजेंद्र कुमार, पिता- रमाकांत प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- यारपुर राजपुताना, गर्दनीबाग, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना।
78. सैमुल अर्नेश हेम्ब्रम, पिता- फ्रिस्तानवेल हेम्ब्रम निवासी गाँव- रामदाह, थाना- जमुई, जिला- जमुई।
79. मोहसिन रजा, पिता- मो. जाकिर हुसैन, निवासी गाँव-सैदपुर गणेश, पानापुर, थाना- बिड़ुपुर, जिला-वैशाली।
80. राकेश कुमार, पिता- अशोक चौधरी, निवासी गांव- सिकंदरा, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई।
81. राकेश कुमार, पिता- अर्जुन पासवान, निवासी गाँव-महादेव सिमरिया, थाना- सिकंदरा, जिला-जमुई।
82. राजेश कुमार विश्वकर्मा, पिता- राम प्रसाद मिश्री, ग्राम- कल्लूबारा, थाना- मुंगेर, जिला- मुंगेर।
83. रोहन मुकेश कुमार, पिता- राजा लाल महतो, निवासी गांव- सुखासन चकला वाई संख्या- 3, उत्तरवारी, थाना- मधेपुरा, जिला-मधेपुरा।
84. प्रमोद कुमार रवि, पिता- मुखन पासवान, निवासी गाँव- गोगो, पोस्ट- राजबरियाकला, थाना- नवीनगर, जिला औरंगाबाद।
85. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
86. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
87. मुख्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक, बिहार सरकार, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 387

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7406

=====

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. ब्रज किशोर शर्मा, पिता-स्वर्गीय भगवान जी शगारमा, निवासी गाँव- कोहरउता, पोस्ट- लाहेजी, थाना- पचरुखी, जिला- सिवान
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 413

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 9874

=====

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव, पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पटना-14 के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. मो. परवेज आलम, पिता- मोहम्मद कयामुद्दीन, निवासी- रामपुर मोहनपुर वार्ड संख्या- 4, थाना- अररिया, जिला- अररिया-854311
2. मो. फिरोज बख्त राही, पिता- मोहम्मद जैनुद्दीन, निवासी- आज़ाद नागा वार्ड संख्या- 19, थाना- अररिया, जिला- अररिया-854311
3. मिलिंद मोनू, पिता- मोती लाल शर्मा, निवासी- वार्ड संख्या- 25, फारबिसगंज, थाना- फारबिसगंज, जिला- अररिया-354318 ।
4. मो. सरवर आलम, पिता- मोहम्मद शम्सुद्दीन, निवासी- गाँव- दहिभात, थाना- तेरागछ, जिला- किशनगंज-855101
5. मो. अनवर हयात, पिता-स्वर्गीय मोहम्मद तैयब हयात, निवासी- आजाद नगर वार्ड संख्या- 20, थाना- अररिया, जिला- अररिया-854311
6. अशोक कुमार सिंह, पिता- श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, निवासी गाँव-कटारी, थाना- छबीलापुर, जिला-नालंदा-803116
7. मो. शम्स तबरेज, पिता- मसिबुर्रहमान, निवासी गांव- वार्ड नंबर 7, चिहारिया थाना- महलगाओ, जिला-अररिया-854325।
8. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
9. मुख्य निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।
10. राज्य क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी, अगमकुआँ, पटना।
11. जिला तपेदिक अधिकारी, संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी, अररिया।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 414

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7414

=====

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

के माध्यम से।

2. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. संजय कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय लक्ष्मी सिंह, निवासी गाँव- विरौल, थाना- खजौली, जिला-मधुबनी ।

2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 608

में

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7673

=====

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव, पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पटना के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. मुंताज़ीर आलम मस्सुम, पिता- कबीर अहमद, निवासी गाँव- राघौता, थाना- रक्सौल, जिला-पूर्वी चंपारण।
2. मो. खालिद आलम, पिता- मोहम्मद अलीमुद्दीन, निवासी- शरीफ गंज, छोटी मस्जिद लाइन बाजार, थाना- खजांची हाट, जिला-पूर्णिया।
3. मो. आलम अंसारी, पिता- स्वर्गीय मनवर हुसैन अंसारी, निवासी गाँव- दर्मा, टोला- प्यारेपुर, थाना- युसापुर, जिला-सारण ।
4. नसीम अहमद, पिता- मोहम्मद सलाहुद्दीन, निवासी मोहल्ला- अगरवा, थाना- मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण।
5. अमित कुमार, पिता-रमन कुमार, निवासी मोहल्ला- मां दुर्गा नगर, थाना- हाजीपुर (सदर), जिला-वैशाली।

6. मो. सलीम, पिता-कौमुदीन, निवासी गाँव- रानीपात्रा, थाना- मुफस्सिल सहायक, जिला-पूर्णिया।
7. सौरभ कुमार, पिता- चामा लाल मंडल, निवासी गाँव- चक्रम, थाना- बिहपुर, जिला- भागलपुर।
8. मकिल अहमद, पिता- मोहम्मद हकीमुद्दीन, निवासी- आजम नगर कुर्शिया गाँव, थाना- अररिया, जिला-अररिया।
9. मो. शाहिन इकबाल, पिता- मोहम्मद अब्दुल बारी, निवासी गाँव- अबगिल थाना- मेडनी चौक, जिला-लखीसराय ।
10. अभय कुमार चौबे, पिता- शंभू नाथ चौबे, निवासी- श्री कृष्ण नगर, थाना- मोतिहारी, जिला- पूर्वी चंपारण।
11. शशि भूषण, पिता- महेश झा, निवासी गाँव- अंधाराथड़ी, थाना- अंधाराथड़ी, जिला- मधुबनी।
12. उमेश कुमार अकेला, पिता- योगानंद मिश्रा, निवासी- डिफेंस कॉलोनी, इंद्र नगर, थाना- सदर, जिला- मुजफ्फरपुर।
13. संजय कुमार, पिता- रवीन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- मुरियारा, थाना- अंगर घाट, जिला-समस्तीपुर।
14. मनीष कुमार, पिता- योगेंद्र पोद्दार, निवासी- मगरदही वार्ड संख्या- 15, थाना- समस्तीपुर, जिला- समस्तीपुर ।
15. अश्विनी कुमार सिंह, पिता- सुरेंद्र कुमार सिंह, निवासी गाँव- सायन, थाना- भभुआ, जिला- कैमूर (भभुआ)-821101 ।
16. अमर चंद्र सिंह, पिता- राम रतन सिंह, निवासी- मां दुर्गा नगर, थाना- हाजीपुर (सदर), जिला-वैशाली।
17. मो. समिउल्लाह, पिता- अब्दुश सुभान, निवासी- वार्ड नं. 8, फेनसाहा, थाना- सलखुआ, जिला-सहरसा।
18. मो. मंजेर आलम, पिता- मोहम्मद फारक, निवासी गाँव- चांद पारा, थाना- बारसोई, जिला-कटिहार।
19. अशोक कुमार यादव, पिता- सूर्य नारायण यादव, निवासी गाँव- हरिहर, थाना- अंधारमठ, जिला- मधुबनी ।

20. मो. मरघूब आलम, पिता- मोहम्मद अनामुल हक, निवासी- सिरसी (पश्चिम), थाना- राउता, जिला- पूर्णिया।
21. मो. नौशाद आलम, पिता- मोहम्मद नूर आलम, निवासी गाँव- गोबिंदपुर, थाना- आजम नगर, जिला- कटिहार-855113 ।
22. अशोक पासवान, पिता-हीरा पासवान, निवासी गांव- अलीपुर हट्टा, थाना- महनार, जिला-वैशाली ।
23. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
24. मुख्य निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 609

में

2020 की दीवानी क्षेत्राधिकार मामला सं .7266

=====

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष।
2. सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. संजय कुमार पांडे, पिता- स्वर्गीय हनुमान दत्त पांडेय, निवासी- सुजान हाउस, एस. एम. सिंह का घर, हिमगिरी अपार्टमेंट लेन, लाल मार्केट के पास, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड (फुलवारी), थाना- श्रीकृष्णपुरी, जिला-पटना (बिहार)।
2. बिहार राज्य।
3. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अपने प्रधान सचिव के माध्यम से।
4. बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग अपने अतिरिक्त सचिव के माध्यम से।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 621
में
2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7322

=====

1. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-14
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-14 सचिव के माध्यम से।
3. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-14

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ बिहार अपने राज्य महासचिव मो. जावेद अख्तर, प्रभावती अस्पताल रोड, गया कैम्पस, डाकघर गया, थाना- गया सिविल लाइन, जिला-गया। स्थायी पता मो. जावेद अख्तर (पुरुष), उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता- मोहम्मद जमील अख्तर, इनायत कॉलोनी, हाउस नंबर 68/ए बारी रोड, पोस्ट- गया, थाना- गया सिविल लाइन, जिला-गया।
2. धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-स्वर्गीय राघो प्रसाद सिंह, निवासी- न्यू गोसाईं टोला, त्रिमूर्ति नगर, दानापुर, थाना- दानापुर, जिला-पटना।
3. राजीव रमन, पिता-मायानंद यादव, निवासी- ए.आई.एच.ई., न्यू जुट मिल के पास , बिनोदपुर, कटिहार, डाकघर और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।
4. मनोज कुमार ठाकुर, पिता- नरसिंह ठाकुर, निवासी गाँव- जोरगामा, थाना- मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा ।
5. संजीव कुमार, पिता-शिव पूजन प्रसाद साह, निवासी- अयोध्यागंज बाजार, कुरसेला, थाना- कुरसेला, जिला-कटिहार ।
6. शैलेंद्र पासवान, पिता- चतुरी पासवान, निवासी- गाँव और पोस्ट- हरसो, थाना- बिहपुर, जिला- भागलपुर।
7. मनोज कुमार, पिता-दशरथ साव, निवासी- नया टोला, कामिपुर, पोस्ट- बुध नगर, थाना- पानापुर, जिला-कटिहार।

8. सरन कुमार, पिता-राम बाबू प्रसाद, निवासी गाँव- बरबीघा, पोस्ट- सालेहपुर, थाना- तेलहाना, जिला-नालंदा, बिहारशरीफ।
9. पंकज जैसवाल, पिता-राजेंद्र चौधरी, निवासी--गांधी नगर, लटाऊना, थाना- त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल।
10. जीत बंधन, पिता- स्वर्गीय नवल किशोर सिंह, निवासी- पुरानी गुदारी वार्ड संख्या- 9, दया नंद विद्या मंदिर के सामने, बेतिया, थाना- बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया।
11. अशोक कुमार, पिता- परशुराम साह, निवासी- गाँव और पोस्ट- रंको डीह, थाना- कोशी, जिला-खगड़िया।
12. राजीव कुमार, पिता-उदित नारायण लाल दास, निवासी- नया बाजार, सराही रोड, वार्ड नंबर 3, डाकघर और थाना- सहरसा, जिला-सहरसा।
13. मो. साजिद अख्तर, पिता- अब्दुल मोबिन, निवासी गाँव- हल्दी, पोस्ट और थाना- सूर्यगढ़ा, जिला- लखीसराय।
14. ललन कुमार, पिता- दारोगा यादव, निवासी गाँव- सलाहपुर, पोस्ट- सरैया, थाना- जी. बी. नगर (तरवाड़ा), जिला-सिवान।
15. सुशील कुमार, पिता-चंद्रबली राम, निवासी- गली संख्या- 8, न्यू एरिया आदर्श नगर, पोस्ट और थाना- औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद ।
16. किरण कुमारी, पिता- परमानंद सिंह, निवासी गाँव- मधेशिलापुर, पोस्ट और थाना- अन्देर, जिला-सिवान।
17. राजेश शर्मा, पिता- पुण्यदेव शर्मा, निवासी ग्राम और पोस्ट- सिसाई, थाना- गोरिया कोठी, जिला-सिवान।
18. सीमा कुमारी, पिता-सुरेंद्र शर्मा, निवासी- टी. बी. सेंटर आई. डी. अस्पताल, चांद चौरा गया थाना- सिविल लाइन, जिला-गया।
19. बिनोद कुमार गहलौत, पिता- शिवदत्त गहलौत, निवासी- गाँव और पोस्ट- डाबर, थाना- कोंच, जिला-गया।
20. रश्मि रानी, पति- प्रहलाद कुमार, निवासी- लोहार टोली, बरही, पोस्ट और थाना- बरही, जिला-हजारीबाग (झारखंड) ।
21. राजेश शरण दास, पिता-राम शरण दास, निवासी- गाँव -अकबरपुर, पोस्ट- बसुदेवपुर, थाना- कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर।

22. मो. बाबर हुसैन उर्फ मो. बाबर, पिता- मोहम्मद कमरुज्जामा, निवासी गाँव- मालोपारा टोला- डुमरी, पोस्ट- दलमलपार, थाना- रौतिया, जिला-पूर्णिया।
23. अब्दुल झनान अंसारी, पिता-अबदुल इरफान अंसारी, निवासी गाँव-लाकड़ी दरगाह, थाना- बरहरिया, जिला-सिवान ।
24. मो. बाबर अली, पिता-अबदुर रहमान, निवासी- मोहल्ला- रहमगंज, पूरबटोला, पोस्ट- लालबाग, थाना- लहरियासराई, जिला-दरभंगा।
25. मो. एजाज़, पिता-मोहम्मद सादिक, निवासी- गाँव -भेरिहारी, पोस्ट- सिरसिया खुर्द, थाना- अदापुर, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
26. विद्या भूषण प्रसाद, पिता-कृष्ण प्रसाद, निवासी- रेलवे स्टेशन के पास, समस्थु अस्थान, बिहटा, थाना- बिहटा, जिला-पटना।
27. बैजुलाल प्रसाद, पिता-नंदीपत प्रसाद , निवासी- वार्ड संख्या- 3, पकरी दयाल, पोस्ट और थाना- पकरी दयाल, जिला-पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।
28. बिभास कुमार, पिता- विजय चौधरी, निवासी- राम जानकी मंदिर के पास, सुखपुर सोलहानी, थाना- सुपौल, जिला-सुपौल।
29. अखिलेश मिश्रा, पिता-शिव कुमार मिश्रा, निवासी- गाँव और पोस्ट- सदरपुर, थाना- बरहरिया, जिला-सिवान।
30. अरविंद कुमार, पिता-विश्वनाथ प्रसाद, वार्ड संख्या- 9, पुरानी चक, निवासी- गोपालगंज, पोस्ट और थाना- गोपालगंज, जिला-गोपालगंज।
31. सहदेव कुमार दास, पिता- नित्यानंद दास, निवासी गाँव और पोस्ट- केहुनिया, थाना- परनपुर, जिला-कटिहार।
32. राकेश कुमार गुप्ता, पिता-प्रमोद कुमार गुप्ता, निवासी- शुगर मिल रोड, गेट नंबर 1, बिहटा, पोस्ट और थाना- बिहटा, जिला-पटना।
33. अंबालिका सिन्हा, पति- अंसुल कुमार, निवासी- नारायणी भवन, अस्पताल रोड, सीवान, थाना- सीवान टाउन, जिला-सीवान।
34. सीमा कुमारी, पिता- द्वारिका प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- मोरा, पोस्ट- मेयार, थाना- छबीलापुर, जिला- नालंदा, बिहारशरीफ।
35. पिकी कुमारी, पिता- योगेंद्र नाथ मंडल, निवासी गाँव- नया टोला- फुलवारी, पोस्ट और थाना- टिंगचिया, जिला-कटिहार।

36. ललिता कुमारी, पति- नित्यानंद कुमार, निवासी गाँव- ढोंगड़ा, पोस्ट- गिन्जी, थाना- घोसी, जिला-जहानाबाद।
37. दर्पण दिव्या, पिता- दीपक कुमार सिन्हा, गाँव मोहल्ला- राजेंद्र नगर, बी. जे. पी. कार्यालय के पास, पूर्णिया डाकघर और थाना- पूर्णिया, जिला-पटना।
38. अर्चना कुमारी उर्फ अर्चना कुमारी ओझा, पिता-श्री ब्रज किशोर ओझा, पति अजीत कुमार, निवासी- नई बस्ती महादेव, सिवान, थाना- सिवान, जिला-सिवान।
39. मो. कैफुल, पिता- मोहम्मद हनीफ, निवासी गाँव- पिपरा देवास, थाना- बरौनी, जिला- बेगुसराय।
40. अशोक कुमार, पिता- राज गोविंद प्रसाद चौरसिया, निवासी गाँव- तडाकुलवा, चिलमानिया टोला, थाना- बंजारिया, जिला- पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ।
41. मो. शमीम, पिता-मोहम्मद शम्सुद्दीन खान, निवासी- नरियार, वार्ड संख्या- 8, कहारा, पोस्ट और थाना- सहरसा, जिला-सहरसा।
42. मो. आसिफ हुसैन, पिता-मोहम्मद आबिद हुसैन, नीलम रोड, वार्ड संख्या- 14, मुंगेर के निवासी, पोस्ट और थाना- मुंगेर, जिला-मुंगेर।
43. सुनील कुमार रंजन, पिता-निरंजन राम, निवासी गांव- सेमरी, पोस्ट और थाना- सासाराम, जिला-रोहतास, सासाराम ।
44. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
45. प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
46. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 663

में

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7567

=====

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. निर्दोश कुमार निराला, पिता- गंगा प्रसाद ठाकुर, निवासी- न्यू मार्केट, ओ. पी. देव श्री अपार्टमेंट, रामपुर रोड, सुल्तानगंज, पटना, बिहार-800006।
2. वेद व्यास मिश्रा, पिता- सहदो मिश्रा, निवासी- खारवा, पोस्ट- राता, जिला-बांका, बिहार, पिन कोड-813207।
3. संजीव कुमार चौधरी, पिता- रामाधर चौधरी, निवासी- सिमरी, पोस्ट- सोनमा, थाना- बखरी, जिला-बेगुसराय, पिन कोड-848201।
4. सुधीर कुमार, पिता- रमेश रजक खोला इमली, निवासी- फूलवारीशरीफ, शेखर कॉम्प्लेक्स, आदर्श जनेश ग्लोर, पटना-801505।
5. विनय कुमार, पिता- रामाशीष मोदी निवासी- मजदिया, बसुहर, कटिहार 854101.
6. गिरिजेश कुमार सिंह, पिता- कामेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी- सुल्तानपुर, कटिहार- 854101।
7. शैलेंद्र कुमार रॉय, पिता- योगेंद्र रॉय, निवासी- श्रीनगर हाटा, थाना- के. पूर्णिया, पूर्णिया-854301।
8. विजय पासवान, पिता- कुशेश्वर पासवान, निवासी- अतहर, दरभंगा, पिन कोड- 847201।
9. कृष्ण माधव व्यास, पिता- भोला प्रसाद व्यास, निवासी-पोखर, कालिकापुर, मधुबनी।
10. अशोक कुमार, पिता- रामकिशुन प्रसाद, निवासी- गोंडापुर, नवादा, पिन कोड-805110।
11. शैलेंद्र चौधरी, पिता- राजेंद्र चौधरी, निवासी- कुखरिया, पोस्ट- रामघाट, जिला-नालंदा, पिन कोड-801305।
12. बिनोद कुमार, पिता- दामोदर महतो, निवासी- दौदनगर, वैशाली-844113।
13. संतोष कुमार राम पिता- चुलहाई राम खोड़ापुर खोड़ापुर, दाउदनगर निवासी, वैशाली- 844113।
14. संजीव कुमार साह, पिता- जय प्रकाश साह निवासी- दुर्गापुर, राघोपुर, सुपौल, पिनकोड-852111।
15. रत्नेश्वर कुमार बैठा, पिता- राम खलबन बैठा, निवासी- सिमरी, वार्ड संख्या- 12,

सिमरी, सहरसा, पिन कोड-852127।

16. नितीश कुमार, पिता- हरिशंकर पांडे, निवासी- दरहरिया, सुपौल, 852137
17. ठाकुर चंदन सिंह, पिता- विवेकानंद ठाकुर, निवासी- वार्ड संख्या- 7, चकला निर्मली, सुपौल, बिहार-852131।
18. रवीन्द्र कुमार, पिता- रामचंद्र प्रसाद निवासी गांव- बेनीपुर, रूपौ, नवादा, बिहार-805107।
19. इनामुल हक, पिता- मोहम्मद इब्राहिम, निवासी गाँव-दिघली, कोल्था, मारिया, थाना- पहाड़कथा, जिला-किशनगंज-855117।
20. दिव्या भारती, पिता-बिपिन कुमार यादव, निवासी- पाटम, पोस्ट- पाटम, नया रामनगर, मुंगेर-811214।
21. अभिमन्यु प्रसाद, पिता- दुखन प्रसाद निवासी- दौदनगर, वैशाली-844113।
22. शंभू प्रसाद, पिता- बिशुदेव प्रसाद, निवासी- धनिया बागीचा, जिला-गया-823002।
23. तेज नारायण पासवान, पिता- कालेश्वर पासवान, निवासी- पारसमणि सरसी, पारसबनी, पूर्णिया-854206।
24. संजय कुमार प्रसाद, पिता- परमेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम- बिष्णुप्रा, हिसुआपुर, सारण-841411।
25. अमरेश कुमार मिश्रा, पिता- राजेश्वर मिश्रा, निवासी- जमुनिया, वार्ड नं 02, पश्चिम चंपारण-845453।
26. चंद्रशेखर कुमार रॉय, पिता- बशिष्ठ नारायण रॉय, निवासी- वार्ड नं. 04, चिरिया घाट, पश्चिम चंपारण, बेतिया-845438।
27. धनंजय कुमार, पिता- राम प्रकाश पटेल, निवासी- कान्हौली, बिशुन पारसी, जिला- वैशाली-844122।
28. बिनोद कुमार गहलोत, पिता- शिव दत्त गहलोत, निवासी गाँव और पोस्ट- डाबर, थाना- कौंच, जिला-गया।
29. लव कुमार, पिता , निवासी गाँव- के. बाजिदपुर, कर्तार, वैशाली-843110 ।
30. दिलीप कुमार, पिता- कैलाश साह, निवासी ग्राम- नाइस कंप्यूटर शिक्षा, हाजीपुर, वैशाली-844101।

31. सुनील कुमार गुप्ता, पिता- ठाकुर प्रसाद गुप्ता, निवासी गांव- हंसराजपुर, एकमा, सिवान
32. फिरोज आलम, पिता- मेहदी हसन, निवासी गाँव- मेहदी हसन-वार्ड नं. 14, बेलसंडी तारा, समस्तीपुर-848236।
33. पंकज कुमार राँय, पिता- रामाशीष राँय वार्ड नं. 02, सरौली, जिला-समस्तीपुर।
34. देवेन्द्र कुमार, पिता- रामभरोश सिंह निवासी- मनियारपुर, सोमनाहम, जिला-समस्तीपुर।
35. संतोष कुमार सुमन, पिता- पवन कुमार झा वार्ड नं. 07, मेहसी समस्तीपुर।
36. अरुण कुमार, पिता- योगेंद्र महतो, निवासी- बरबया, हरलाल, मामिया हरलाल, जिला-समस्तीपुर-848114।
37. अमर कुमार प्रभाकर, पिता-निरंजन मोची, निवासी- वार्ड सं. 21, मूलचंद रोड, जिला-समस्तीपुर।
38. विभा, पिता- रामाशीष सिंह, निवासी- राम निवास, वार्ड नं. 08, काशीपुर, जिला-समस्तीपुर।
39. नवीन कुमार, पिता- मदन गोस्वामी भगवानपुर, निवासी- देशवा, जिला-समस्तीपुर ।
40. कृष्ण कुमार, पिता- बलदेव चौधरी, निवासी- रहीमपुर, जिला-वैशाली-844502।
41. सरयू कुमार, पिता- राजेंद्र प्रसाद सांडा, निवासी- बजरपुर, जिला-नालंदा।
42. जगत नारायण सिंह, पिता- कामेश्वर प्रसाद, निवासी- धारहरा, जिला-नालंदा के ।
43. शशि कला कुमारी, पिता- जितेंद्र कुमार, निवासी- बाबा त्रिलोकी नाथ मंदिर, ब्रह्मभपुरा, एम. आई. टी., जिला-मुजफ्फरपुर-842003।
44. राजन कुमार झा, पिता- हरिहरनाथ झा, निवासी- हनुमान नगर कॉलोनी, मधुबानी-847211।
45. कमल अहमद, पिता- मैनुद्दीन अहमद, निवासी- खानसामा टोला-, थाना- हथुआ, गोपालगंज-841436।
46. धीरज विवेक सिंह, पिता- केदार नाथ चौधरी निवासी- जैतपुर राज्य, सराया, जिला-मुजफ्फरपुर।

47. धरमबीर, सी/ओ प्रवीण कुमार, निवासी- मारुफचक, थाना- हबीबपुर, भागलपुर (बिहार)-812005।
48. दिलीप कुमार, के/ऑ उमेश सिंह, पूर्व-आर्यमी, जेल रोड, तिलकमंझी, जवारीपुर, सामने के निवासी, काली मंदिर, डाकघर और थाना- तिलकमंझी।
49. सुजय कुमार, पिता- सुनयन ठाकुर, निवासी- नया टोला, करेला, नूरपुर, नाथ नगर, जिला-भागलपुर-812006 ।
50. राज कुमार, पिता- रामचंद्र प्रसाद चौरसिया वार्ड नं. 04, बंधुआर, जिला- बेगुसराय-851131।
51. जामजय कुमार, पिता- बिनोद प्रसाद सिंह, निवासी- वार्ड संख्या- 05, तेलघी, खारीप, जिला-भागलपुर-853202 ।
52. मनोज कुमार, पिता- स्वर्गीय सत्यदेव प्रसाद सिंह, निवासी- राहतपुर, बाली, जिला- बेगुसराय-851211।
53. बेबी कुमारी, पिता- शांति भूषण चौधरी, निवासी- ब्राह्मण टोला, बाजिदपुर, बाम्बिया, जिला-समस्तीपुर-848160 की निवासी हैं।
54. रीता कुमार मंडल, पिता- प्रमोद कुमार, निवासी गांव- गंग राघोली, पोस्ट- माधोपट्टी, थाना- कांतौल, जिला-दरभंगा।
55. ललन बिहारी राँय, पिता- सत्यनारायण राँय, निवासी- भवानीपुर, जिला-मधेपुरा-852122।
56. रोशन कुमार, पिता- सीताराम साह निवासी- मारवाड़, भगनपुर, बिहार-853201।
57. रीना कुमारी, पिता- गोरेलाल प्रसाद, निवासी- चलहाई बीघा, मंजूर, नवादा-805130।
58. प्रियदर्शी राम, पिता- स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद राम निवासी- मांझी कॉलोनी, नेवालाल चौक, पूर्णिया-854301।
59. रुपेश कुमार पासवान, पिता- सीताराम पासवान, निवासी- पोस्ट- डुमरा, सुरौली, टोला- नवगछिया, भवनपुरी, राजधाम, जिला-पूर्णिया-854204 ।
60. सुजीत कुमार दास, पिता- झुशी लाल दास निवासी- वासुदेपुर, बारहरा कोठी, जिला- पूर्णिया-854203।
61. कुमार गौरव, पिता- रामचंद्रद दुबे, निवासी- जे. पी. कॉलोनी, मधुबनी, जिला-पूर्णिया-

8543011

62. मोहम्मद आफताबुल्लाह अंसारी, पिता- अनवर उल्ला अंसारी, निवासी- सरसैद उर्दू स्कूल गली, भीकनपुर, गुमती नंबर 3, अंगारी, जिला-भागलपुर-812001।
63. राजेश कुमार, पिता- पन्ना लाल भगत, निवासी- वार्ड संख्या- 20, शिव मंदिर काली बाजार के सामने, जिला-अररिया-854311 ।
64. एहसानुल हक, पिता- कमल इस्लाम, निवासी- हिंदुस्तान पैथोलॉजी के पास, मिर्जागलीब रोड, आजाद नगर, वार्ड संख्या- 20, जिला-अररिया-854311।
65. मुकेश कुमार साह, पिता- राजेंद्र साह, निवासी- पुनाली, कमालपुर, जिला-सुपौल-847451।
66. बैद्यनाथ महतो, पिता- चीदी महतो, निवासी- पोहदादी बेला, पोहददरी, दरभंगा-847427।
67. कौशल कुमार, पिता- सुधीर नारायण साह, निवासी- वार्ड संख्या- 14, मझौरा, चानौरागंज, झंझारपुर, जिला-मधुबनी-847404।
68. संजीत कुमार, पिता- सोन लाल महतो, निवासी गाँव-मोहनपुर, वार्ड संख्या- 09, मोहनपुर बाजार, बरियारपुर, जिला-सीतामढ़ी-843302 ।
69. विनीता कुमारी, पति- मृत्युंजय, निवासी- बी-16, प्रोफेसर कॉलोनी, अघोरिया बाजार, जिला-मुजफ्फरपुर-842002।
70. मुकेश कुमार द्विवेदी, पिता- गौतम द्विवेदी निवासी- परारी, मैरवान, थाना- गुथानी, जिला-सिवान-841239।
71. शशि कपूर, पिता- संतु राम, निवासी- मुस्तफाबाद, जिला-गया-823001।
72. मुकेश कुमार, पिता- किशोरी सिंह, निवासी- न्यू कॉलोनी, भलुई, खारपुरा, जिला-गया-823002।
73. राजेश कुमार शर्मा, पिता- जय प्रकाश शर्मा, निवासी गाँव-दहेरिया नया टोला, जिला-कटिहार-854103 ।
74. नागेंद्र, पिता- कमल पासवान, निवासी- अनीसाबाद, सैन चक, प्राथमिक विद्यालय के पास, फुलवारी, जिला-पटना, बेउर-800002।
75. योगेंद्र कुमार, पिता- लालदेव सिंह निवासी गांव- उमरामपुर, पोस्ट- अरंडा, जिला-

औरंगाबाद-824113।

76. सत्यार्थ प्रकाश, पिता- राम नारायण मांझी, निवासी गाँव- नेहिया गरुपुर, थाना- मुफसिल, छापरा, जिला-सारण।
77. रामकृष्ण परमहंस, पिता- अरविंद कुमार, निवासी- चैनपुर, जिला-नालंदा-801307।
78. सुमित कुमार, पिता- राज नारायण चौधरी, निवासी- सैदपुर, ढावा, जिला- अरवल- 804401।
79. अमित चंद्र, पिता- महावीर साहू, निवासी- डाकघर और थाना- अम्बा, जिला- औरंगाबाद- 824111 ।
80. कृष्ण मोहन सिंह, पिता- सत्यनारायण सिंह, निवासी- सोनगावां, सिकारिया सासाराम, जिला-रोहतास-851115।
81. संतोष कुमार, पिता- राज कुमार राम, निवासी- वार्ड नं. 09, रतनपट्टी, दरगाह, दरभंगा-84,6004।
82. पुरुषोत्तम कुमार, पिता- राम सागर प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम- बर्मा, पोस्ट- कैथवा, जिला-शेखपुरा-811107।
83. मनोज कुमार, पिता- भोला साव, निवासी मोहल्ला- कटारी रोड, महादेव नगर, जिला- शेखपुरा-811105 ।
84. मो. साबिर, पिता- अब्दुसत्तर, सन्हा, उत्तर निवासी, फैज़पुर, बरबिधी, बखड्डा, जिला- बेगूसराय-851217।
85. शंकर पंडित, पिता- राम सेवक पंडित, निवासी- वार्ड संख्या- 12, राकोडीह, कोशी कॉलेज, जिला-खगड़िया-851205 ।
86. दीपक कुमार, पिता- रतनदेव प्रसाद गुप्ता, निवासी- चुनचुन बाबू मार्ग, चित्रगुप्त (कृष्णा) नगर, वार्ड संख्या- 14, जिला- खगड़िया-851205।
87. अर्जुन चौधरी, पिता- पुसो चौधरी, निवासी- अत्तारुआ, वार्ड संख्या- 12, लखनपुर, जिला-बेगूसराय-851133।
88. आशीष कुमार चौधरी, पिता- यदुनंदन चौधरी, निवासी- कटरा, बारादरी, बाचा बेंड के पास, पोस्ट- छापरा, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण-841301।
89. अरविंद कुमार पिता- चंद्रशेखर ठाकुर, निवासी- वार्ड संख्या- 05, नव कोठी, जिला-

बेगूसराय-851130 ।

90. मिंदू कुमार, पिता- महेंद्र प्रसाद बाबुल बानी, निवासी- पहलजा बरका, जिला-सारण-841101।
91. पप्पी कुमारी, पति-आलोक चंद्र निवासी- शांति नगर, आई. टी. आई. के पीछे, वार्ड संख्या- 02, आम घाटा, भगवतीपुर, जिला-सीतामढ़ी-843302।
92. इमरोज राणा, पिता- मो. मुजीबुर रहमान, कश्मीर निवासी।
93. राजेश रंजन, पिता- गणपति यादव, निवासी- टोला-, पोस्ट- खरीफ बजर, भागलपुर-853202।
94. रणजीत कुमार राणा, पिता- कृष्ण देव ठाकुर, निवासी- करपुरी नगर, रानी तालाब, जिला-भागलपुर-813210।
95. दिलीप कुमार रजक, पिता- राम लाल रजक, निवासी- पैजावापर, बाढ़, पटना-803213
96. सुनील कुमार, पिता- गुप्तेश्वर प्रसाद, निवासी- पनवाड़ी, जिला-भोजपुर-802222।
97. सुशील कुमार झा, पिता- बिशेश्वर झा सी/ओ पैरामाउंट स्कूल, पलासी, पलासी पोस्ट-पलासी, थाना- पलासी, भाया- मदनपुर, अररिया (बिहार)-854333।
98. तारा कुमारी, पति- मनोज कुमार साह निवासी- एल. टी. टी. घाट रोड, कहलगांव, जिला-भागलपुर-813203।
99. लालबाबू यादव, पिता- महेन्द्र यादव, निवासी गाँव- बिशरफिया, पोस्ट- कुमार खंड, लदानिया, जिला-मधुबनी-847232।
100. जमालुद्दीन अंसारी, पिता- तजमुल अंसारी, निवासी गाँव- मदाई, पोस्ट- मुकुंदपुर, थाना- चारपोखारी, जिला- भोजपुर-802223।
101. कामरे आलम, पिता- अबुल्लैश बाबू, निवासी- बेल्लाहिया, पोस्ट- रघुनाथपुर, थाना- रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण-845433।
102. मो. अनवर आजाद पिता- मो. ओज़ैर वार्ड नं. 02, बखरी खजुरी, कर्मावन, पूर्वी चंपारण-845304।
103. अखिलेश कुमार साह, पिता- महेंद्र साह निवासी- बालातंड, वैशाली, बालातंड-844502।
104. सरफराज अहमद, पिता- शालिमुद्दीन अंसारी, निवासी- हरपुर, नाग, महेसी, पूर्वी चंपारण-855412।

105. पिंदू कुमार, पिता- दामोदर भगत, निवासी- वार्ड संख्या- 21, मचाली बाजार, डी. बी. रोड, कहारा, जिला-सहरसा-852201।
106. संजय बैठा, पिता- परमानंद बैठा, निवासी गाँव- शेखौना, पोस्ट- बाघा, थाना- घोरासाहन, जिला-पूर्वी चंपारण-845315।
107. संजय कुमार पांडे, पिता- एल. टी. हनुमान दत्त पांडे, निवासी- सुजान हाउस, एच/ओ एस. एम. सिंह, हिमगिरी अपार्टमेंट, लाल मार्केट के पास, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, पिन-800001।
108. मोहम्मद मोहसिनूर राशिद, पिता- हरूनूर रसिद, निवासी- आलम टोला, वार्ड संख्या- 23, मसजिद के पास, फारबिसगंज, जिला-अररिया, पिन-854318।
109. राकेश कुमार, पिता- राजरंगी प्रसाद, निवासी गाँव- बालाबिघा, पोस्ट- टाकिया करपी, जिला-गया, पिन-804407।
110. संजय कुमार संजीव, पिता- कोरख नाथ ठाकुर, निवासी- तरचा जगदीशपुर, जिला- भागलपुर-813105।
111. राजीव कुमार शर्मा, पिता- ओम प्रकाश शर्मा, निवासी- मातादिह, कालीमंदिर, डाकघर जमालपुर, जिला-मुंगेर-811214।
112. मनीष कुमार, पिता- महेश प्रसाद, निवासी- मंगल बाजार, पोस्ट- मुंगेर, जिला- मुंगेर- 811201।
113. जितेन्द्र कुमार यादव, पिता- त्रिवेणी यादव, निवासी- मिर्जा चक, पोस्ट- शिवकुंड, जिला- मुंगेर-811202।
114. कपिलदेव कुमार, पिता- माखन मंडल, निवासी- सरस्वती नगर, बरियारपुर, जिला- मुंगेर-811211 ।
115. कुमारी अर्चना, पिता- अजय कुमार, निवासी- टी बसंत बिहार कॉलोनी, बासुदेवपुर, जिला-मुंगेर, 811202।
116. चंद्रकांती आनंद, पति- उदय शंकर सिंह, निवासी- 57, चैता बहोरी, संजोली, जिला- रोहतास, 802219।
117. खुशबू रंजन, पिता- चंद्रदेव सिंह, निवासी- महावीर स्थान, मो. कुराइच, सासाराम, जिला-रोहतास, 821115।
118. बिहार राज्य बिहार

119. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

120. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 84

में

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.465

=====

1. शशि भूषण कुमार, पिता- योगेश्वर प्रसाद यादव, निवासी- चंद कुमार सिंह पथ, गंगजला, वार्ड संख्या- 17, थाना और जिला-सहरसा।
2. अजय कुमार आजाद, पिता- योगेंद्र पासवान, निवासी गाँव- कुशपुरबी, वार्ड नं. 10, थाना- कुमार खंड, जिला-मधेपुरा।
3. पंकज कुमार, पिता- योगेंद्र यादव, निवासी गांव- फतेहपुर, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा
4. दिनेश कुमार, पिता- जलधर प्रसाद यादव, निवासी- नवटोलियाब, भिरखी, वार्ड संख्या- 21, डॉ. पी. तुती क्लीनिक के पास थाना- और जिला-मधेपुरा।
5. रामदेव कुमार, पिता-बिजेंद्र प्रसाद, निवासी ग्राम- बैजनाथपुर, थाना- सौर बाजार, जिला-सहरसा।
6. राज रंजन रवि, पिता- नारायण प्रसाद, निवासी- गाँव- हटिया गाछी वार्ड संख्या- 21, थाना और जिला- सहरसा

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना अपने सचिव पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014।
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना- 800014।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-

800014।

4. परीक्षा नियंत्रक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014।
5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रभु नाथ साह, पिता- स्वर्गीय महादेव साह, निवासी- श्रीपुर गाँव, थाना- मधेपुरा, जिला-मधेपुरा।
8. चंदन कुमार, पिता-रामदेव पासवान, निवासी-गाँव-मुरली बसंतपुर, थाना- बनगाँव, जिला-सहरसा।
9. राजा राम भारती, पिता- जय प्रकाश भारती, निवासी गाँव-गोथ, खुटौना, थाना- खुटौना, जिला-मधुबनी।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2023 का पत्र पेटेंट अपील सं. 399

में

2020 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 6761

=====

1. प्रियंका कुमारी, पिता-सुनील कुमार, निवासी गाँव-बरहिया, इंद टोला, वार्ड संख्या- 7, थाना- बड़हिया, जिला-लखीसराय।
2. रंजन बाला, पति- संदीप कुमार सिंह, सी./ओ. गौरी शंकर प्रसाद, निवासी- पंचवटी कॉलोनी, फुलवारी, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला-पटना।
3. ललिता साहनी, पिता- जट्टा साहनी, पति- चार्ल्स एंटोनिसामी, निवासी- मकान संख्या 4, रोड नंबर 8, कौटिल्य लेन, कुर्जी, कोटिया विकास नगर, थाना- दीघा, जिला-पटना।
4. मोनू कुमारी, पति- प्रदीप कुमार, निवासी ग्राम- छर्पापट्टी, साहेबपुर, कमल, थाना- साहेबपुर कमल, जिला-बेगूसराय।
5. टेरेसा कुमारी, पति- मकरध्वज चौहान, निवासी- जंगल सालिक्रम कलकटरी शिवपुर ,

थाना- गोरखपुर, जिला-गोरखपुर।

6. शंभू कुमार, पिता- श्री पंडित यादव, निवासी गाँव- बलुआ, पोस्ट- करहरी, थाना- फुलपरास, जिला-मधुबनी।
7. बिनिता कुमारी, पति- राम दयाल कुमार चौरसिया, निवासी गाँव- महेशखुट, डाकघर और थाना- महेशखुट, जिला-खगड़िया।
8. प्रीति कुमारी, पिता- सुनील प्रसाद गुप्ता, निवासी- मननपुर बाजार, थाना- लखीसराय, जिला-लखीसराय।
9. रंजना सोनम, पिता- रमेश कुमार सिंह, निवासी- प्लॉट सी/87, दूसरी मंजिल, गंगा विहार, लोन देहात, थाना- लोन, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10. मो. नेसर, पिता- मोहम्मद शाहिद, निवासी- वार्ड संख्या-5, घघटा, थाना- सारण, जिला-सारण ।
11. ममता कुमारी दुबे, पिता- नंदजी दुबे, निवासी- देवीमंदिर, जमनपुरा, सारण, थाना- सारण, जिला- सारण।
12. प्रियंका कुमारी, पिता- अनेश्वर सिंह, निवासी गाँव- भाकुआ, वार्ड संख्या- 13, थाना- खजौली, जिला- मधुबनी।
13. श्वेता पाठक, पति- राजू कुमार शुक्ला, निवासी- वार्ड संख्या- 25, आरोग्य संघ घर, गोदिया पट्टी, बाघा, थाना- बाघा, जिला-पश्चिम चंपारण ।
14. कुमारी तुषारिका, पिता- हरे कृष्ण सिंह, निवासी- रामा कोल्ड स्टोरेज की , पोस्ट- संधा, थाना- छपरा मुफस्सिल, जिला-सारण।
15. कामिनी कुमारी, पिता- सुखदेव भगत, निवासी- पटियासा, पोस्ट- मिर्जापुर, थाना- अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014 के माध्यम से।

4. अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014 के माध्यम से।
5. सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना अपने सचिव, पोस्ट- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014 के माध्यम से।
6. सुदिश कुमार महतो, पिता- स्वर्गीय सीताराम महतो, निवासी- नबीगंज, छपरा, थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण, छपरा।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 296 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी

(2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10905 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिष्णुकांत दुबे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. एन. शाही, ए. ए. जी-10

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 345 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, ए. जी.

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 372 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 374 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी

(2021 की लेटर्स अपील संख्या 376 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी

(2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 387 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, एजी
 (2021 की लेटर्स अपील संख्या 413 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी. 9)
 (2021 की लेटर्स अपील संख्या 414 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री प्रभात कुमार वर्मा (एएजी-3)
 (2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 608 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
 (2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 609 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
 (2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 621 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
 (2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 663 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्रीमती प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
 (2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 84 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री विश्वजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)
 (2023 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 399 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री जगजीत रोशन, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एस. डी. यादव (ए. ए. जी.-9)

=====

गणपूर्ति: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

सी ए वी निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 06-12-2023

रिट याचिकाओं में विवाद, जिनसे उपरोक्त अपीलें इस बात के इर्द-गिर्द घूमती हैं कि प्रयोगशाला तकनीशियनों के चयन और नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत आवेदन करने के लिए कौन योग्य है: चाहे वे केवल प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा रखने वाले हों, जो भी बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किए गए हों; या जिन व्यक्तियों ने देश में कहीं से भी ऐसी योग्यता प्राप्त की हो, वे भी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया हो, आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, जो 21.06.2015 के एक विज्ञापन द्वारा शुरू की गई थी, संविदा कर्मचारियों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए मुकदमे के कारण, एक कठिन राह पर चल पड़ी। वर्तमान में, अपीलों में पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जो नियुक्तियाँ अंतिम निर्णय के अधीन हैं। इसलिए, हम उन राजनयिकों द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेने से पहले रिट याचिका में दिए गए अंतरिम आदेशों पर भी ध्यान देने के लिए बाध्य हैं, जिन्होंने बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश से व्यथित हैं कि वे पूरी योग्यता सूची को संशोधित करें और याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें, जो चयन और नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में संविदात्मक पदों पर बने हुए थे, क्योंकि वे बिहार प्रयोगशाला तकनीशियन नियम, 2005 के अनुसार पात्र हैं। बिहार प्रयोगशाला तकनीशियन संवर्ग (संशोधन) नियम 2019 के रूप में (क्रमशः '2005 के नियम' और '2019 के नियम' की संक्षिप्तता के लिए)।

2. आवेदनों के लिए विज्ञापन बिहार प्रयोगशाला तकनीशियन संवर्ग नियम,

2014 ('2014 के नियम' की संक्षिप्तता के लिए) के अनुसार था, जो उन राजनयिकों के लिए विचार के क्षेत्र को सीमित करता है, जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया था। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि चयन के लिए पात्रता अपील में अंतरिम आदेशों के आधार पर काफी बढ़ गई है, जो विज्ञापन और यहां तक कि रिट याचिका में विचार की शर्तों से बहुत आगे है।

3. विवादित फैसले में, शुरुआत में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि 2020 की आई. ए. संख्या 2 वाला एक हस्तक्षेप आवेदन, जो 2020 की आई. डी. संख्या 7175 वाली रिट याचिकाओं में से एक में दायर किया गया है, विचार के योग्य नहीं है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के नियम रिट याचिका के समर्थन में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के अवलोकन से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन यह वर्तमान रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद भी उक्त हस्तक्षेप कर्ताओं को नई रिट याचिकाएं दायर करने से नहीं रोक पाया, जो हालांकि नहीं की गईं। हम यह विशेष रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे अपील में हस्तक्षेप आवेदनों को स्वीकार कर लेने से और भी लोग इस मामले में आ गए हैं; यहां तक कि वे भी, जो अनुबंध के आधार पर नियुक्त नहीं थे, अपनी योग्यता का दावा करते हुए चयन और नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पर्याप्त थे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उन हस्तक्षेप करने वाले आवेदकों में से कोई भी, जो संविदात्मक कर्मचारी थे, उन अपीलों में अपने दावों का आंदोलन नहीं कर सकते थे जो विशेष रूप से ऐसे अनुबंध कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका के निपटारे से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें '2014 के नियमों' द्वारा विचार के क्षेत्र से हटा दिया गया था। कथित तौर पर समकक्ष योग्यता रखने वालों द्वारा की गई प्रार्थना रिट याचिकाओं के दायरे में नहीं आ रही थी, जो सभी संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थीं। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा यह भी था कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न संस्थानों और अस्पतालों में प्रयोगशाला तकनीशियनों के पदों पर उनकी नियुक्ति के आधार पर, हालांकि अनुबंध कर्मचारियों के रूप

में, उन्हें नियमित रूप से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिए विचार करने का अधिकार था।

4. रिट याचिकाओं में से पहली है सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 6761, सी.डब्ल्यू.जे.सी.2020 की संख्या 7175, सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 7406, सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 7414 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 9874, जिन पर एक साथ विचार किया गया और 03.03.2021 पर एक सामान्य निर्णय पारित किया गया। इन रिट याचिकाओं में से पहली याचिका से यह पता चलता है कि 2021 की एल. पी. ए. संख्या 296, 2021 की एल. पी. ए. संख्या 374 और 2023 की एल. पी. ए. संख्या 399। ऊपर उल्लिखित पहली और तीसरी अपील व्यक्तियों द्वारा और दूसरी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा (संक्षिप्तता 'बी. एस. एस. सी.' के लिए) पसंद की गई थी। 2021 की एल. पी. ए. संख्या 345, 2021 की एल. पी. ए. संख्या 372 और 2021 की एल. पी. ए. संख्या 376 2020 की C.W.J.C संख्या 7175 से उत्पन्न होती है, पहली और दूसरी अपील व्यक्तियों द्वारा और तीसरी 'बी. एस. एस. सी.' द्वारा दायर की जाती है। 2021 का एल. पी. ए. सं. 387, 2020 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7406, 2021 का एल. पी. ए. सं. 414, 2020 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7414 और 2021 का एल. पी. ए. सं. 413 में निर्णय के विरुद्ध है। इस प्रकार, नौ अपीलें दिनांक 03.03.2021 के सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसके बाद सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 7266, सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2022 की संख्या 7322 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 7673 का निपटारा एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 17.03.2021 के एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था। इन रिट याचिकाओं में निर्णयों के खिलाफ, 2021 का एल. पी. ए. संख्या 609, 2021 का एल. पी. ए. संख्या 621 और 2021 का एल. पी. ए. संख्या 608 क्रमशः बी. एस. एस. सी. द्वारा दायर किए गए थे। 2020 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7567 के रूप में दायर एक और रिट याचिका का निपटारा एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 03.03.2021 के निर्णय के बाद किया गया था, जिसके खिलाफ 2021 की एल. पी. ए. संख्या 663 'बी. एस.

एस. सी.' द्वारा दायर की गई है। वर्ष 2021 में दायर लिखित याचिका, जिसकी संख्या 2021 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 465, एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 13.01.2022 पर खारिज कर दिया गया था, यह पाते हुए कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी; जिसके खिलाफ रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 2022 की एल. पी. ए. संख्या 84 दायर की गई है। एक व्यक्ति द्वारा दायर 2016 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10905 अपीलों के साथ भी पोस्ट की गई है, जो उसी अधिसूचना के संबंध में भी है। हमें मुकदमे के दायरे को समझने के लिए व्यक्तिगत रिट याचिकाओं और उसमें की गई प्रार्थनाओं को देखना होगा, विशेष रूप से क्योंकि विभिन्न हस्तक्षेप करने वाले आवेदनों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया था।

5. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10905/2016, 'नियम 2014' के नियम 6 में संशोधन की मांग करते हुए दायर की गई रिट याचिकाओं में से पहली थी, जिसमें सीधी भर्ती द्वारा लैब तकनीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी। रिट याचिका में इंटरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा की योग्यता को व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (व्यावसायिक), पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत से एक वर्षीय तकनीकी शिक्षुता प्रशिक्षण के समकक्ष करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 10, जाहिर है, ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ऐसी योग्यता थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह I.Sc./10 + 2 (जीव विज्ञान) और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के प्रयोगशाला तकनीशियनों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर है। याचिकाकर्ता विभिन्न सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में आर.एन.टी.सी.पी. योजना के तहत प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में भी काम कर रहे थे। 2005 के पहले के नियमों के अनुसार अनुबंध के आधार पर कई वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। उक्त रिट याचिका किसी तरह अन्य रिट याचिकाओं के साथ टैंग किए बिना लंबित रही।

6. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6761/2020 एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जो चयन के बाद काउंसिलिंग में उपस्थित हुआ था और उसे साक्षात्कार के लिए

नहीं बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में विचार किए जाने की मांग की थी।

7. **सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7175/2020, 84 रिट** याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 'बीएसएससी' द्वारा दिनांक 29.05.2020 के ज्ञापन संख्या 873/एए द्वारा प्रकाशित/अपलोड की गई उम्मीदवारों की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। उन्होंने 'बीएसएससी' द्वारा दिनांक 21.06.2015 को विज्ञापित लैब तकनीशियन के पद के लिए बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी (संक्षिप्त रूप में 'बीएमएलटी') में अपनी योग्यता पर विचार करने और स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया था। 2014 के केंद्र नियमों में 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन (संक्षिप्त रूप में 'डीएमएलटी') की तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के अलावा 'बीएमएलटी' योग्यता भी थी।

8. **सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7406/2020** एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था, जिसके पास चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता से 'डीएमएलटी' प्रमाणपत्र था। याचिकाकर्ता, जैसा कि अनुलग्नक-पी/7 से स्पष्ट है, संविदा के आधार पर जिला क्षय रोग केंद्र, सीवान में कार्यरत था, जब उसने 2015 की अधिसूचना के तहत लैब तकनीशियन के पद पर आवेदन किया था।

9. **सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7414/2020** एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जिसने बिहार से ही 'डीएमएलटी' की डिग्री और पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में विज्ञान स्नातक की उच्च योग्यता प्राप्त की थी।

10. इसी प्रकार, **सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9874/2020, 07** याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने बिहार राज्य के बाहर से, लेकिन विश्वविद्यालयों या संस्थानों से, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त थे, अपना 'डीएमएलटी' प्राप्त किया था।

11. C.W.J.C. 2020 का संख्या 7266 द्वारा दाखिल किया गया था बिहार सरकार के तहत एक अन्य संविदात्मक कर्मचारी, जिसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उसने भारतीय चिकित्सा संघ, मुख्यालय, आई. एम. ए. हाउस, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से वर्ष 2000 की 'डी. एम. एल. टी.' परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसे 2021 के पटना उच्च न्यायालय के महानिदेशालय एल. पी. ए. द्वारा मान्यता प्राप्त थी। स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत सरकार। याचिकाकर्ता ने हालांकि 'आई. एम. ए.' द्वारा आयोजित पैरा मेडिकल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन एम. जी. एम. अस्पताल, पटना से इसके लिए उपस्थित हुआ, जैसा कि अनुलग्नक-पी/9 से स्पष्ट है।

12. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7322/2020 एकएसोसिएशन और 42 व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने बिहार राज्य के बाहर से लैब तकनीशियन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त किया था। उनका तर्क था कि उन्होंने भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से उसी विषय में डिप्लोमा प्राप्त किया था

13. 2 सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7673/2020 22 व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने बिहार राज्य के बाहर के संस्थानों से अपना 'डीएमएलटी' प्राप्त किया था।

14. सी.डब्ल्यू.जे.सी. 2020 की संख्या 7567 द्वारा दाखिल की गई है 117 बिहार राज्य के बाहर के संस्थानों से प्राप्त 'डी. एम. एल. टी.' की अपनी योग्यता पर विचार करने के लिए इसी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता।

15. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 465/2021, 09 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से 'डीएमएलटी' की योग्यता है, लेकिन वे बिहार राज्य के बाहर से हैं और बिहार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं।

16. अपीलों में दिनांक 02.02.2022 के अंतरिम आदेश संख्या 5 ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के समक्ष एक लंबी

मुकदमेबाजी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ उम्मीदवारों द्वारा पसंद किए गए एस. एल. पी. को खारिज कर दिया था। यह देखा गया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 1138 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से 257 से 260 के बीच के अपीलार्थियों को भी उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से महामारी की स्थिति के कारण; अपीलों के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं के नाम, जो अनुबंध के आधार पर प्रयोगशाला तकनीशियनों के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें चयन और नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया क्योंकि वे भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा '2019 के नियमों' के अनुसार पात्र पाए गए थे। खंड पीठ ने न केवल रिट याचिकाकर्ताओं को बल्कि अपीलों में अंतर्वर्ती आवेदनों में आवेदकों को भी चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार देने का निर्देश दिया। विचार विशेष रूप से केवल उन व्यक्तियों के लिए था जो '2005 के नियमों' के साथ-साथ संशोधित '2019 के नियमों' के अनुसार योग्य पाए गए थे।

17. अपील में पारित अंतरिम आदेश की भी यह इंगित करता है कि उन व्यक्तियों के संबंध में विवादों को हल करने के लिए सरकार को एक सुझाव भी दिया गया था जो पहले से ही सरकार के साथ कार्यरत थे, जिसका समाधान एक समय में न्यायालय द्वारा प्रतीक्षित था, जैसा कि आदेश संख्या 15 दिनांक 11.04.2023 से संकेत दिया गया है। अभी तक, नियुक्तियाँ रिट अपील के अंतिम निपटारे के अधीन की जाती हैं।

18. हमने अपीलार्थी/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललित किशोर और व्यक्तिगत अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले अन्य अधिवक्ता को सुना है। उत्तरदाताओं के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मनन कुमार मिश्रा और श्रीमती निवेदिता निर्विकर पेश हुईं और बहस की।

19. शुरुआत में ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न अवधियों के दौरान

नियम, यानी 2005 में निर्धारित नियम, 2014 के नियम और वर्ष 2019 में संशोधित नियम। 31.12.2005 की अधिसूचना के अनुसार पैरामेडिकल की परिभाषा इस प्रकार थी:-

“परिभाषा:- इस नियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:-

(क) पैरा मेडिकल/पैरा डेंटल का अर्थ: फिजियोथेरेपी, ऑक्जूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपथैलमिक असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी, टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक्स-रे टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, डेंटल हाइजीनिस्ट, ड्रेसर, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी, ई. सी. जी. टेक्नीशियन और वे पाठ्यक्रम जो राज्य/केंद्र सरकार के किसी भी नियम, विनियमों/अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

इन नियमों के तहत ही रिट याचिकाकर्ताओं को संविदा नियुक्ति पर प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया गया था। जैसा कि संकेत दिया गया है, नियमों की एक विस्तृत श्रृंखला है और यहां तक कि अध्ययन के पाठ्यक्रम की अनुमति भी है जो राज्य/केंद्र सरकार के किसी भी नियम, विनियमन या अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उपरोक्त नियमों के अनुसार अनुबंध के आधार पर की गई थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि संविदात्मक नियुक्तियों ने अपनी नियुक्तियों को नियमित करने की न तो मांग की है और न ही की है।

20. 2014 के संवर्ग नियम 26.02.2014 से लागू हुए। नियम 6 के अनुसार योग्यता निम्नानुसार थी:-

"6. योग्यता:- (1) बेसिक ग्रेड पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आई.एस.सी./10+2 (जीव विज्ञान) उत्तीर्ण होगी। इसके अतिरिक्त, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(2) लैब टेक्नीशियन संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण श्रेणीवार निर्धारित की जाए। संबंधित वर्ष की 1 अगस्त आयु निर्धारण की अंतिम तिथि मानी जाएगी।

उपरोक्त नियमों के अनुसार प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के लिए योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। '2014 के नियमों' में भी सरकार की एक परिभाषा थी जो बिहार राज्य सरकार तक ही सीमित थी। बी. एस. एस. सी. की ओर से 2020 के आई. डी. 2. संख्या 6761 में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक ए के रूप में ऐसी संस्थाओं की एक सूची भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से 2021 का एल. पी. ए. संख्या 296 सामने आती है।

21. अब हम '2019 के नियमों' पर आते हैं, जिनसे 2014 के संवर्ग नियमों के नियम 3,6,7 और 13 को प्रतिस्थापित किया गया था, जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में भी निकाला गया है। सुविधा के लिए, हम '2019 के नियमों' का केवल नियम 6 निकालते हैं, जो नीचे दिया गया है:-

"6. योग्यता:- (1) बुनियादी श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट/+ 2 (अंग्रेजी के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) में उत्तीर्ण होगी। इसके अलावा, भारत संघ और अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम/चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।

'2019 के नियमों' ने भारत संघ या किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रमों को भी मान्यता प्रदान की।

22. विद्वान एकल न्यायाधीश की यह सुविचारित राय थी कि रिट याचिकाकर्ता, जो अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे, ने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया था और 2005 की अधिसूचना की शर्तों के तहत और यहां तक कि '2019 के नियमों' के संदर्भ में भी पात्र थे, जो परामर्श के समय लागू थे और रिट याचिकाकर्ता, जिन्हें 'बी. एस. एस. सी.' द्वारा परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था, उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के

योग्य थे। यह देखा गया कि पत्राचार हुआ था स्वास्थ्य विभाग और 'बी. एस. एस. सी.' के बीच वैध डिग्री के साथ उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के मुद्दे पर और हालांकि स्वास्थ्य विभाग की राय 'बी. एस. एस. सी.' को सूचित की गई थी, इसने ऐसे व्यक्तियों को उनकी उच्च योग्यता और उनकी स्नातक डिग्री की मान्यता को नजरअंदाज करते हुए विचार के क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को विचार के क्षेत्र से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था, विशेष रूप से उन्हें परामर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के बाद। न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह भी थी कि याचिकाकर्ता पिछले 1 वर्षों से काम कर रहे थे, जिन्होंने एक प्रयोगशाला तकनीशियन के कार्यों पर विशेष ज्ञान प्राप्त किया है और वे राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए एक संपत्ति होंगे, इस प्रकार, नियमित चयन के मामले में कम से कम एक बार विचार के योग्य हैं। इसी तर्क पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी।

23. हम विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निष्कर्षों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, विशेष रूप से क्योंकि न्यायालयों के लिए सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा; कौन सा प्रिस्क्रिप्शन सरकार के पूर्ण विवेक में है। अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा में, हम केवल यह देख सकते हैं कि क्या नियम मनमाने या भेदभावपूर्ण थे, इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। हमें ध्यान देना होगा कि रिट याचिका में उच्च योग्य लोगों पर विचार करने का कोई दावा नहीं था। रिट याचिकाकर्ता केवल वे व्यक्ति थे जिन्हें संविदात्मक रूप से नियुक्त किया गया था और वे इस तथ्य से व्यथित थे कि उन्हें नए नियमों के कारण आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया था। विज्ञापन दिनांक 21.06.2015 '2014 के नियम' के बाद जारी किया गया था जो लागू हुआ था। हम पहले ही 2014 के संवर्ग नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता प्राप्त कर चुके हैं जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त प्रयोगशाला तकनीशियन

पाठ्यक्रम में डिप्लोमा है। हमारी राय है कि 2014 के संवर्ग नियमों के तहत किए गए चयन और नियुक्ति पर विचार करने में न तो '2005 के नियम' और न ही 2019 के नियम की कोई प्रासंगिकता हो सकती है।

24. हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम आर्य के. बाबू एवं अन्य (2019) 8 एससीसी 587* में दिए गए निर्णय से समर्थन प्राप्त करते हैं। हमें उक्त मामले के तथ्यों पर विस्तार से ध्यान देना होगा ताकि यह उक्ति वर्तमान मामले पर लागू हो सके क्योंकि कानून की प्रत्येक घोषणा उस मामले में उत्पन्न तथ्यों पर लागू होनी चाहिए। इसमें, भर्ती कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल 1) के पद पर थी। अपील में प्रतिवादी पक्ष माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनके दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन अस्थायी रूप से चयन किया गया था और अपीलार्थी-बैंकों को आवंटन किया गया था। हालांकि, उनका चयन रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन उत्तरदाताओं के पास योग्यता थी जो नियुक्ति के लिए अधिसूचना में निर्धारित नहीं थी।

25. चयनित उम्मीदवारों ने इस नियुक्ति को रद्द करने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। विज्ञापन में कृषि वानिकी में 4 साल की डिग्री निर्धारित की गई थी, जबकि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अर्जित वानिकी में 4 साल की डिग्री थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि देश में कृषि वानिकी के लिए कोई 4 साल का डिग्री कार्यक्रम नहीं है। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद (संक्षिप्त में 'आई. सी. ए. आर.') ने जानकारी दी थी कि कृषि की परिभाषा में वानिकी शामिल है। "कृषि वानिकी" को वानिकी के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में व्यापक रूप से शामिल किया गया था और 'आई. सी. ए. आर.' ने पाया कि बैंकों में कृषि क्षेत्र अधिकारियों के पद के लिए वानिकी में स्नातक पर विचार किया जा सकता है। इन सबके अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने बाद में इस त्रुटि पर ध्यान दिया कि देश में कृषि वानिकी का कोई 4 साल का पाठ्यक्रम नहीं है। इन पहलुओं को देखते हुए और क्षेत्र की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की इस

तरह की राय पर भरोसा करते हुए, नियुक्तियों को रद्द करना शून्य निर्धारित किया गया था। एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि खंड पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान देते हुए की कि वर्ष 2016 में, उसी पद पर चयन के लिए एक शुद्धिपत्र द्वारा, वानिकी और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में 4 वर्षीय बीएससी डिग्री को मान्यता प्राप्त योग्यता के रूप में शामिल किया गया था।

26. बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने चयन के पूर्व वर्ष में शुद्धिपत्र को लागू करने से इनकार कर दिया था। लेकिन केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इससे असहमति जताई और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न तैयार किया कि क्या न्यायालय समतुल्यता प्रदान करने का अभ्यास करने में उचित होंगे और बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए इसे भर्ती अधिसूचना में निर्धारित योग्यता के बराबर घोषित करेंगे, हालांकि समतुल्यता की ऐसी योग्यताओं को भर्ती करने वाले नियोक्ता द्वारा घोषित नहीं किया जाता है। विचार के लिए तैयार किया गया एक अन्य प्रश्न यह था कि क्या बाद की भर्ती अधिसूचना द्वारा योग्य बनाई गई किसी विशेष योग्यता पर पूर्वव्यापी रूप से विचार किया जा सकता है भर्ती प्रक्रिया जो ऐसी मान्यता दिए जाने से पहले शुरू हो चुकी हो।

27. हम आर्य के. बाबू (उपरोक्त) में निर्णय के कंडिका 12 को निकालते हैं, जो नीचे दिया गया है:-

12. हालाँकि हमने उक्त तर्क पर ध्यान दिया है, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सुस्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी ऐसी राय है कि इसे पढ़ना या मान लेना न्यायालय का काम नहीं है और इस प्रकार इसमें कुछ योग्यताएं शामिल हैं जिन्हें नियोक्ता द्वारा अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट नियमों को अधिकारियों की पदोन्नति के लिए एक नियम बताया गया है। इसके अलावा, भले ही विज्ञापन में निर्धारित योग्यता भर्ती नियमों के तहत प्रदान की गई योग्यता के विपरीत हो, संबंधित उम्मीदवार के लिए अवसर से इनकार करने का आरोप लगाते हुए

अधिसूचना को चुनौती देने के लिए खुला रहता। दूसरी ओर, अधिसूचना में निर्धारित विशिष्ट योग्यता को ध्यान में रखते हुए, किसी उम्मीदवार के लिए यह मान लेना खुला नहीं होगा कि ऐसे उम्मीदवार के पास जो योग्यता है वह समकक्ष है और इस प्रकार नियुक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी और न ही नियोक्ता के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकताओं को बीच में ही बदलना या अधिसूचित योग्यता के अलावा किसी अन्य योग्यता को स्वीकार करना खुला होगा क्योंकि यह उन लोगों को अवसर देने से इनकार करने के बराबर होगा जिनके पास योग्यता है लेकिन जिन्होंने आवेदन नहीं किया था क्योंकि इसे अधिसूचित नहीं किया गया था।

28. हम दोहराते हैं कि अधिसूचना 2014 के संवर्ग नियमों के आधार पर जारी की गई थी, जिसमें केवल उन उम्मीदवारों को योग्य बनाया गया था, जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त किया था। न तो '2005 के नियम' और न ही उनमें योग्यता को इस तरह के विज्ञापन के अनुसार चयन और नियुक्ति के मामले में आयात किया जा सकता है, और न ही '2019 के नियम' को पहले के विज्ञापन पर लागू करके उसमें निर्धारित योग्यताओं को विनियमित किया जा सकता है। जब सरकार '2019 के नियम' लाई थी, तो राज्य सरकार के लिए यह पूरी तरह से खुला होता कि वह चयन को छोड़ देती और 2019 के नियमों के तहत एक नए चयन के साथ आगे बढ़ती; इस स्थिति में उन सभी को आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक नया विज्ञापन देना पड़ता, जिनके पास समान और समान योग्यता थी। कारण जो भी हो, सरकार ने 2015 के विज्ञापन के अनुसार चयन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जो 2014 के संवर्ग नियमों के अनुरूप था। इस प्रकार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद, विज्ञापन और विज्ञापन को विनियमित करने वाले 2014 के संवर्ग नियमों के अनुसार योग्य नहीं व्यक्तियों को लाना न तो अदालतों का काम है कि वे इस पर हस्तक्षेप करें और न ही इसके लिए।

29. रिट याचिकाकर्ता प्रयोगशाला तकनीशियनों के पद पर नियुक्त संविदात्मक

कर्मचारी थे, जिन्हें नियमित चयन के बाद अपने-अपने पद खाली करने होंगे। केवल यह तथ्य कि वे संविदात्मक रोजगार पर बने रहे, उन्हें विज्ञापन के तहत आवेदन करने के लिए तब तक पात्र नहीं बनाएगा जब तक कि उनकी योग्यता को मान्यता नहीं दी जाती है और ऐसे अनुभवी हाथों के लिए आवेदन करने के लिए एक विशिष्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, भले ही उनकी योग्यता संवर्ग नियमों के तहत मान्यता प्राप्त न हो। वास्तव में, '2014 के नियमों' के नियम 7 में भर्ती के लिए एक प्रक्रिया प्रदान की गई थी जिसमें बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव को 25 अंकों का वेटेज दिया गया था; प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 25 के अधीन 5 अंक। हालाँकि, यह उम्मीदवार के लाभ के लिए तभी हो सकता है जब उसके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आवश्यक योग्यता हो।

30. न्यायालय '2014 के नियमों' को बाद में, इस मामले में, वर्ष 2019 में लाए गए नियम के साथ केवल इस कारण से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है कि 2014 के संवर्ग नियमों के अनुसार शुरू किया गया चयन तब तक समाप्त नहीं हुआ था। जैसा कि हमने देखा, राज्य सरकार के पास शुरू की गई चयन प्रक्रिया को छोड़ने और संशोधित नियमों के आधार पर एक और नए चयन के साथ आगे बढ़ने का अधिकार होता, जिसका उन्होंने सहारा नहीं लिया। जहां तक वर्तमान चयन का संबंध है, हमारी राय है कि वर्ष 2015 के विज्ञापन के अनुसार, चयन के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जो 2014 के संवर्ग नियमों के तहत योग्य हैं।

31. विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अन्य योग्यताओं के साथ निर्धारित योग्यताओं की बराबरी करने के लिए हम गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल और अन्य ने (2009) 1 एस. सी. सी. 610 में रिपोर्ट किया। यह माना गया है कि समानता एक तकनीकी शैक्षणिक मामला है। यह नहीं हो सकता। निहित या कल्पित। "सरकार, जो नियुक्ति प्राधिकरण है, ने कुछ योग्यताएँ निर्धारित की हैं और इस न्यायालय

पर अन्य योग्यताओं के साथ इसकी तुलना करने का अधिकार नहीं है, भले ही अन्य योग्यताओं को बाद के नियमों द्वारा मान्यता दी गई हो।

32. 'बी. एस. एस. सी.' के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **वाई. वी. रंगैया और अन्य बनाम जे. श्रीनिवास और अन्य** पर भरोसा किया। आई. आर. 1983 एस. सी. 852 में सूचित किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियमों के संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियां पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी, न कि नए नियमों द्वारा। दूसरी ओर, श्री मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि उक्त निर्णय को राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बाद की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने काफी हद तक खारिज कर दिया है। **हिमाचल प्रदेश बनाम राज कुमार और अन्य**, रिपोर्ट में (2023) 3 एससीसी 773। यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के लिए विचार के समय मौजूद नियमों के तहत व्यक्तियों को पदोन्नत करने के लिए राज्य की कार्यवाई में हस्तक्षेप किया था। उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह रिट याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए उन नियमों के तहत विचार करे जो रिक्तियों के उत्पन्न होने के समय मौजूद थे, न कि बाद में संशोधित नियमों के अनुसार **वाई. वी. रंगैया (उपरोक्त)**। 'राज्य के तहत सेवाओं' की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में सिद्धांत की जांच करने के बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उसके बाद के निर्णयों की समीक्षा की और **वाई. वी. रंगैया (उपरोक्त)** को अलग कर दिया और माना कि **वाई. वी. रंगैया (उपरोक्त)** में तैयार किया गया प्रस्ताव सही संवैधानिक स्थिति को नहीं दर्शाता है।

33. हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि उपरोक्त निर्णय राज्य द्वारा मौजूदा नियमों के आधार पर व्यक्तियों को पदोन्नत करने का निर्णय लेने के संदर्भ में आया था, न कि उन नियमों के आधार पर जो उस समय मौजूद थे, जब रिक्ति उत्पन्न हुई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार योग्य उम्मीदवारों के विचार की तारीख को होता है और पदोन्नति के लिए इस तरह के विचार के

समय लागू नियम लागू होंगे। इसमें विचार मौजूदा कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए था, जबकि इसमें, तत्कालीन मौजूदा नियमों के आधार पर विज्ञापन के अनुसार नई नियुक्ति के लिए विचार किया गया था, जिन्हें चयन और नियुक्ति से पहले संशोधित किया गया था, जैसा कि पहले के नियमों के अनुसार किया गया था। यह विशेष रूप से देखा जाना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि नीति को देखते हुए है। सरकार का निर्णय और इकाई के कुशल संचालन के लिए संवर्ग के पुनर्गठन की स्थिति में पुराने नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं है। नई नियुक्तियों में भी अधिकार केवल विचार के लिए होता है न कि नियुक्ति के लिए। वास्तव में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से कहा था कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब भी राज्य को नियुक्ति होने से पहले किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रोकने का अधिकार है; यह कहते हुए कि प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। एकमात्र आरक्षण यह है कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए बाध्य है, यदि वह ऐसा मार्ग अपनाता है। यहां तक कि तीन न्यायाधीशों की पीठ की घोषणा के अनुसार, राज्य के पास भर्ती प्रक्रिया को रोकने और संशोधित नियमों के अनुसार एक नया शुरू करने की शक्ति थी; जो नहीं किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में, यह निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि राज्य को उन उम्मीदवारों को भी, जो नियमों के अनुसार योग्य नहीं हैं, जिनके आधार पर विज्ञापन किया गया था, विचार के लिए पात्र होने की अनुमति देनी चाहिए, यदि वे विज्ञापन के लिए पहले से मौजूद नियमों के अनुसार पात्र थे, जिसके आधार पर संविदात्मक नियुक्तियां की गई थीं या संशोधित नियमों द्वारा गणना की गई पात्रता के आधार पर, जो लंबे समय से लागू थे, चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, ये सभी नीतिगत मामले हैं और इस न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं हो सकता है।

34. ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 405 में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ

का निर्णय अधिक उपयुक्त होगा जिसकी रिपोर्ट पी. महेन्द्रन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, जो कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा की गई मोटर वाहन निरीक्षक की नई भर्ती के संबंध में था। इसमें, भर्ती नियमों के साथ-साथ आयोग द्वारा जारी विषय विज्ञापन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में राजनयिकों को मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाया। जैसा कि वर्तमान मामले में, आयोग अपने चयन के साथ आगे बढ़ा और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों के कहने पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशों के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। चयन वर्ष 1983 में शुरू हुआ, लेकिन इस बीच नियमों में संशोधन किया गया, और आयोग ने साक्षात्कार पूरा किया और चयन सूची को 02.06.1987 द्वारा अंतिम रूप दिया, जिसे 23.07.1987 पर राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नियम संभावित थे और किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, इसे पूर्वव्यापी नहीं माना गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जो नियम संभावित प्रकृति के हैं, वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति के अधिकार को दूर या बाधित नहीं कर सकते हैं।

35. हम उक्त निर्णय के कंडिका 5 और कंडिका 11 का एक हिस्सा निकालते हैं।

5. यह निर्माण का अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि प्रत्येक क़ानून या वैधानिक नियम संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है। जब तक कि क़ानून या नियमों में ऐसे शब्द नहीं हैं जो मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने के इरादे को दर्शाते हैं, तब तक नियम को संभावित माना जाना चाहिए। यदि कोई नियम ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या में काफी सक्षम है तो इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए। किसी भी स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक इरादे के अभाव में नियम को प्रक्रिया के मामले को छोड़कर पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। 1987 के संशोधित नियमों में संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव देने वाला कोई

स्पष्ट प्रावधान नहीं है और न ही इसमें ऐसा कुछ है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम को लागू करने के लिए आवश्यक इरादे को दर्शाता है। चूंकि संशोधित नियम पूर्वव्यापी नहीं थे, इसलिए यह उन उम्मीदवारों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता था, जो पद के लिए आवेदन करने की तारीख को चयन और नियुक्ति के लिए योग्य थे, इसके अलावा जब संशोधन नियम लागू होने पर चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो संशोधित नियम उन उम्मीदवारों के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते थे, जिनके चयन के लिए विचार किया जा रहा था क्योंकि उनके पास इसके संशोधन से पहले नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताएं थीं, इसके अलावा उन लोगों को अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए संशोधन नियमों का निर्माण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, जिनका विषय वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं है।

“यह सच है कि एक उम्मीदवार को केवल उसी के लिए आवेदन करके पद का कोई अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि विज्ञापन के नियमों और शर्तों और मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार पद के लिए विचार किए जाने के लिए उसके पक्ष में एक अधिकार बनाया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार भर्ती नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के जवाब में किसी पद के लिए आवेदन करता है तो उसे तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह किसी भी नियम के संशोधन से अधिकार प्रभावित नहीं हो सकता है जब तक कि संशोधन नियम पूर्वव्यापी प्रकृति का न हो। तत्काल मामले में आयोग ने तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार कार्य किया था और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी नियुक्ति के लिए पात्र थे, उनका चयन भर्ती नियमों का उल्लंघन नहीं था। हमारी राय में न्यायाधिकरण ने आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची को दरकिनार करने में गलती की थी।”

36. उपरोक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को भी राज कुमार (उपरोक्त)

मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित किया गया था। राज कुमार (उपरोक्त) में अनुच्छेद 32, 33 और 34 नीचे दिए गए हैं:-

32. एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग

[एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग (1990) 3 एस. सी. सी. 157:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 446], तहसीलदार के पद पर नियुक्ति से संबंधित एक मामला है, जो 1975 के नियमों [कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (तहसीलदार) भर्ती (विशेष) नियम, 1975] के तहत शासित एक चयन पद है, सेवारत उम्मीदवारों से भरा जाना। जबकि विज्ञापन मई 1975 में जारी किया गया था, एससी/एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण के नियमों का पालन करके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 9-7-1975 पर लागू की गई थी। अदालत ने कहा कि जैसा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और मौखिक परीक्षा से गुजरे हैं, उन्हें विज्ञापन के संदर्भ में चयन के लिए विचार करने का एक निहित अधिकार प्राप्त हुआ है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि नियमों का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यह इस संदर्भ में है कि न्यायालय ने संदर्भित किया है रंगैया [वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एससीसी 284:1983 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 382] और पी. गणेश्वर राव [पी. गणेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य, 1988 पूरक एस. सी. सी. 740:1989 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 123]। न्यायालय ने कैल्टन पर भी भरोसा किया [ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक, (1983) 3 एससीसी 33: 1983 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 356] जो यू. पी. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत प्राचार्य के पद के लिए नियुक्ति से संबंधित था और महेंद्रन मामला [पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य, (1990) 1 एस. सी. सी. 411: 1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 163] जो मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था। विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में किए गए बदलाव पर विचार किया जा रहा था।

33. न्यायालय ने टिप्पणी की: (एन. टी. देवीन कट्टी मामला [एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग, (1990) 3 एससीसी 157:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 446], एस. सी. सी.पी.165, कंडिका 11)

“11. सवाल का एक और पहलू भी है। कहाँ, पदों की एक श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन मौजूदा नियमों या सरकारी

आदेशों के अनुसार किया जाएगा, और यदि यह आगे विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण की सीमा को इंगित करता है, तो ऐसे मामले में उम्मीदवारों का चयन तत्कालीन मौजूदा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो उम्मीदवार आवेदन करते हैं, और लिखित या मौखिक परीक्षा से गुजरते हैं, वे विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने के लिए निहित अधिकार प्राप्त करते हैं, जब तक कि विज्ञापन स्वयं एक विपरीत इरादे का संकेत नहीं देता है। आम तौर पर, एक उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किए जाने का अधिकार है क्योंकि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख पर उसका अधिकार स्पष्ट हो जाता है, हालांकि इस मामले में उसका कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि चयन के लंबित रहने के दौरान भर्ती नियमों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जाता है, तो उस घटना में चयनसंशोधित नियम के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए। नियमों का पूर्वव्यापी प्रभाव है या नहीं, यह मुख्य रूप से नियमों की भाषा और विधायी इरादे का पता लगाने के लिए इसके निर्माण पर निर्भर करता है। विधायी आशय या तो स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा निर्धारित किया जाता है; यदि संशोधित नियम प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं हैं तो चयन को उन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए जो विज्ञापन की तारीख को लागू थे। इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रासंगिक नियमों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ऐसा न हो कि कोई भ्रम हो, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक विज्ञापन के अनुसरण में एक पद के लिए आवेदन करने पर एक उम्मीदवार चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है, लेकिन यदि वह पात्र है और विज्ञापन में निहित प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार अन्यथा योग्य है, तो उसे चयन का कोई अधिकार नहीं है। वह विज्ञापन की तिथि को मौजूद नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने का एक निहित अधिकार प्राप्त करें। उन्हें चयन के लंबित रहने के दौरान नियमों के संशोधन पर उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधित नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के न हों। ”

34. यह मामला कुछ योग्यताओं को निर्धारित करने वाले विज्ञापन के अनुसार पद पर नियुक्ति से संबंधित है। जिन उम्मीदवारों ने ऐसी

योग्यताओं के आधार पर आवेदन किया है, उन्हें विज्ञापन के आधार पर विचार किए जाने का अधिकार है और नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन किए बिना इस तरह के अधिकार को नहीं खोया जा सकता है। इस मामले में शामिल मुद्दा हमारे सामने आने वाले मुद्दे से अलग है। यह मामला वर्तमान मामले से जुड़े मुद्दे पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालता है।

37. राज कुमार (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के. रामुलु और एक अन्य बनाम एस. सूर्यप्रकाश राव पर भी विचार किया गया और अन्य, (1997) 3 एस. सी. सी. 59 में जिसने कंडिका 55 में ऐसा अभिनिर्धारित किया:-

55. के. रामुलु बनाम एस. सूर्यप्रकाश राव [के. रामुलु बनाम एस. सूर्यप्रकाश राव, (1997) 3 एससीसी 59:1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 625] एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सहायक निदेशक के पदोन्नति पद पर 1996 के संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों पर ए. पी. पशुपालन सेवा नियम, 1996 (जिसने मौजूदा 1977 के नियमों को निरस्त कर दिया था) के लागू होने से संबंधित मुद्दा। नियम 4 के तहत, सरकार को उक्त पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 1995-1996 के लिए पैनल तैयार करना और संचालित करना था। हालाँकि, सरकार द्वारा 1988 में एक सचेत निर्णय लिया गया था कि जब तक निरस्त नियमों में विधिवत संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी रिक्त स्थान को नहीं भरा जाएगा। इसके आलोक में, सरकार ने वर्ष 1995-1996 के लिए सहायक पशु चिकित्सा सर्जन से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल को तैयार और अंतिम रूप नहीं दिया। यह माना गया था कि: (एस. सी. सी. पीपी. 66-67, कंडिका 12,13 और 15) "12. ... लेकिन सवाल यह है कि क्या रंगैया मामले में अनुपात [वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एससीसी 284:1983 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 382] इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा। सरकार ने इसमें केवल नियमों में संशोधन किया, संशोधित नियमों को लागू किया, बिना कोई सचेत निर्णय लिए कि नए नियमों के लागू होने की तिथि तक नियमों में संशोधन लंबित रहने तक मौजूदा रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा। यह सच है, जैसा कि श्री एच. एस. गुरुराजा राव ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अनुपात का पालन किया है और उनके द्वारा उद्धृत पी. गणेश्वर राव बनाम। एपी का राज्य [पी. गणेश्वर राव बनाम ए. पी.

राज्य, 1988 सप.एससीसी 740:1989 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 123], पी. महेन्द्रन बनाम राज्य कर्नाटक [पी. महेन्द्रन बनाम कर्नाटक राज्य, (1990) 1 एससीसी 411:1990 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 163], ए. ए. कैल्टन बनाम निदेशक शिक्षा विभाग [ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक, (1983) 3 एससीसी 33:1983 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 356], एन. टी. देवीन कट्टी बनाम। कर्नाटक लोक सेवा आयोग [एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग, (1990) 3 एस. सी. सी. 157:1990 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 446], रमेश कुमार चौधरी बनाम राज्य एम. पी. [रमेश कुमार चौधरी बनाम एमपी राज्य, (1996) 11 एससीसी 242:1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 384] इनमें से किसी भी निर्णय में, वर्तमान मामले में उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार नहीं किया गया था। ...

13. यह देखा गया है कि चूंकि सरकार ने नियमों के संशोधन तक कोई नियुक्ति नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया है, इसलिए सामान्य नियमों के नियम 3 से प्रतिवादी को कोई मदद नहीं मिलती है। ...

15. इस प्रकार, हमारा मानना है कि पहले प्रतिवादी ने सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को देखते हुए निरस्त नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार हासिल नहीं किया है, जो हमें हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड से उपलब्ध सामग्री पर उचित लगता है। हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण ने सरकार को निरस्त नियमों के अनुसार पशुपालन विभाग के सहायक निदेशकों के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल तैयार करने और संचालित करने और उसे संचालित करने का निर्देश देना सही और सही नहीं था। "

(जोर देने के लिए रेखांकित)

38. राज कुमार (उपरोक्त) में स्पष्ट अंतर यह है कि सरकार ने एक चयन के साथ आगे बढ़ने के बावजूद, नए सिरे से लाए गए नियमों के अनुसार या पहले चयन के समय मौजूद नियमों में संशोधन किया था जो पहले चयन के समय मौजूद थे जब शुरू किया। वर्तमान मामले में, चयन 2014 के नियमों के अनुसार शुरू किया गया था और 2019 में नियमों में संशोधन के बावजूद इसे आगे बढ़ाया गया था। संशोधित नियम पूर्वव्यापी नहीं थे। सरकार ने संशोधन के बाद एक नया चयन भी शुरू नहीं किया जो केवल संभावित

संशोधन था। **वाई. वी. रंगैया (उपरोक्त)** ने प्रत्येक चयन को रिक्तता उत्पन्न होने के समय मौजूद नियमों के अनुसार आयोजित करने का निर्णय गलत तरीके से लिया। लेकिन, **पी. महेन्द्रन (उपरोक्त)** एक समन्वित पीठ के फैसले को **राज कुमार (उपरोक्त)** ने अछूता छोड़ दिया। पी. महेन्द्रन (उपरोक्त) में कानून की घोषणा वही है जो इसमें लागू होती है।

39. यह बहुत प्रासंगिक है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन की शर्तों और न ही 2014 के संवर्ग नियमों को चुनौती दी थी। रिट याचिकाकर्ता, जो संविदात्मक कर्मचारी थे, उन्होंने भी नियमितीकरण की मांग नहीं की। पात्रता की गणना उस विज्ञापन की तारीख के अनुसार की जानी चाहिए जिसने चयन की शुरुआत की थी, जिसे नियमों में संशोधन के बाद भी आगे बढ़ाया गया था। जैसा कि हम देखते हैं, विद्वत एकल न्यायाधीश ने विवादित फैसले में याचिकाकर्ताओं को योग्य मानने का निर्देश दिया और चयन के लिए याचिकाकर्ताओं पर विचार करने के बाद पूरी योग्यता सूची को संशोधित करने का निर्देश भी जारी किया, क्योंकि वे अनुबंध के आधार पर प्रयोगशाला तकनीशियनों के रूप में काम कर रहे थे। सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और इस प्रकार '2005 के नियम' अधिसूचना और '2019 के नियम' के संदर्भ में पात्र थे, जो '2014 के नियमों' को पूरी तरह से मंजूरी देते थे, जिसके आधार पर विज्ञापन जारी किया गया था। जैसा कि हमने देखा, चुनौती के दायरे में काफी विस्तार हुआ है, यहां तक कि वे लोग भी जो संविदात्मक कर्मचारियों के रूप में काम नहीं कर रहे थे, जो अलग-अलग रिट याचिकाओं में अपने कारण का विरोध किए बिना, हस्तक्षेपकर्ता के रूप में अभियोग की मांग करके मैदान में शामिल हुए। हम उक्त प्रार्थनाओं का मनोरंजन करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हम 2022 के एल. पी. ए. संख्या 84 को छोड़कर दायर अपीलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं पाते हैं, जिसमें विवादित फैसले ने चयन प्रक्रिया को पूरा करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया था। हमें मनोरंजन करने का कोई वैध कारण भी नहीं मिलता है सी.डबल्यू.जे.सी. 2016 की संख्या 10905।

40. 2022 का एल. पी. ए. संख्या 84 और 2016 का सी.डबल्यू.जे.सी. संख्या 10905 खारिज कर दिया गया है। अन्य अपीलों में विद्वान एकल न्यायाधीशों के फैसले को दरकिनार करने की अनुमति दी गई है, जो पहले 03.03.2021 पर रिट याचिकाओं के एक समूह में जारी किए गए थे और बाद में अन्य विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा जारी किए गए थे। हम नियुक्तियों को विज्ञापन और '2014 के नियमों' के अनुसार सख्ती से करने का निर्देश देते हैं और यदि आवश्यक हो तो चयन सूची और यहां तक कि की गई नियुक्तियों को भी संशोधित करें, जो अपीलों के परिणाम के अधीन थीं।

41. तदनुसार आदेश दिया।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

राजीव रॉय, न्यायमूर्ति में सहमत हूँ।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

सुजीत/शारुन -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।